



क्रमांक: 2109/अका./का.प./2014

रायपुर, दिनांक : 05/12/2014

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 7वीं\* बैठक शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 को

अपरान्ह 3.00 बजे की विषयसूची

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 28.10.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (पृ.क्र. 01 से 04 तक)  
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 28.10.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन संलग्न कर सूचनार्थ प्रस्तुत है। (पृ.क्र. 05 से 06 तक)
03. दिनांक 15.12.2014 से 14.06.2015 तक अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में डॉ. मंजू सिंह, सहायक प्राध्यापक, फार्मसी संस्थान के आवेदन पत्र दिनांक 17.11.2014 पर विचार करना। (पृ.क्र. 07 से 10 तक)  
टीप : आवेदन पत्र एवं कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
04. जैवप्रौद्योगिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को –
  - (1) DST, New Delhi के द्वारा स्वीकृत FIST योजना के तहत -86°C Deep Freezer, model U 410,
  - (2) DST, New Delhi के द्वारा स्वीकृत FIST योजना के तहत UV-Vis Spectrometer, Lambda 25,
  - (3) DST, New Delhi के द्वारा स्वीकृत FIST योजना के तहत Perkin Elmer Model LS-45 Spectrofluorometer (Luminescence), L2250106,
  - (4) DST, New Delhi के द्वारा स्वीकृत FIST योजना के तहत Water Purification System model Elix 3,क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।  
टीप :
  - (1) जैवप्रौद्योगिकी अध्ययनशाला को DST, New Delhi के द्वारा स्वीकृत FIST योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से -86°C Deep Freezer, model U 410, क्रय करने हेतु इस उपकरण के निर्माता M/s Eppendorf India Pvt. Ltd., Kalipauk, Chennai से भाव पत्र प्राप्त किया गया, जिसे DST, New Delhi को आवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु भेजा गया था। DST, New Delhi ने उपरोक्त भाव पत्र के अवलोकन पश्चात इस पर अपनी

\* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

स्वीकृति प्रदान की है। संदर्भित उपकरण की कुल कीमत रू0 5,50,000.00 (रूपये पांच लाख पचास हजार मात्र) है, जिसमें CST (@ 5% राशि रू0 26,190.00 (रूपये छब्बीस हजार एक सौ नम्बे मात्र) सम्मिलित है। DST, New Delhi ने इस उपकरण की खरीदी के लिए रू0 5,00,000.00 (रूपये पांच लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की है, अतः शेष राशि रू0 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) को विभागीय बजट के उपकरण मद से प्राप्त की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के विभागीय बजट के उपकरण मद में रू0 5,00,000.00 का प्रावधान है।

- (2) जैवप्रौद्योगिकी अध्ययनशाला को DST, New Delhi के द्वारा स्वीकृत FIST योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से UV-Vis Spectrometer, Lambda 25, क्रय करने हेतु इस उपकरण के निर्माता M/s Perkin Elmer Pvt. Ltd., Singapore से भाव पत्र प्राप्त किया गया, जिसे DST, New Delhi को अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु भेजा गया था। DST, New Delhi ने उपरोक्त भाव पत्र के अवलोकन पश्चात इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। संदर्भित उपकरण की कुल कीमत रू0 5,25,228=00 (रूपये पांच लाख पच्चीस हजार दो सौ अट्ठाइस मात्र) है, जिसमें 10% अतिरिक्त राशि रू0 47,748=00 (रूपये सैतालिस हजार सात सौ अड़तालीस मात्र) LC खोलने एवं हैंडलिंग राशि सम्मिलित है। DST, New Delhi ने इस उपकरण की खरीदी के लिए रू0 4,00,000.00 (रूपये चार लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की है, अतः शेष राशि रू0 1,25,228.00 (रूपये एक लाख पच्चीस हजार दो सौ अट्ठाइस मात्र) को विभागीय बजट के उपकरण मद से प्राप्त की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के विभागीय बजट के उपकरण मद में रू0 5,00,000.00 का प्रावधान है।
- (3) जैवप्रौद्योगिकी अध्ययनशाला को DST, New Delhi के द्वारा स्वीकृत FIST योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से Perkin Elmer Model LS-45 Spectrofluorometer (Luminescence), L2250106, क्रय करने हेतु इस उपकरण के निर्माता M/s Perkin Elmer Pvt. Ltd., Singapore से भाव पत्र प्राप्त किया गया, जिसे DST, New Delhi को अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु भेजा गया था। DST, New Delhi ने उपरोक्त भाव पत्र के अवलोकन पश्चात इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। संदर्भित उपकरण की कुल कीमत रू0 8,72,520.00 (रूपये आठ लाख बहत्तर हजार पांच सौ बीस मात्र) है, जिसमें 10% अतिरिक्त राशि रू0 79,320.00 (रूपये उनहत्तर हजार तीन सौ बीस मात्र) LC खोलने एवं हैंडलिंग राशि सम्मिलित है। DST, New Delhi ने इस उपकरण की खरीदी के लिए रू0 8,00,000.00 (रूपये आठ लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की है, अतः शेष राशि रू0 72,520.00 (रूपये बहत्तर हजार पांच सौ बीस मात्र) को विभागीय बजट के उपकरण मद से प्राप्त की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के विभागीय बजट के उपकरण मद में रू0 5,00,000.00 का प्रावधान है।
- (4) जैवप्रौद्योगिकी अध्ययनशाला को DST, New Delhi के द्वारा स्वीकृत FIST योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से Water Purification System model Elix 3, क्रय करने हेतु इस उपकरण के निर्माता M/s Millipore India Pvt. Ltd., Bangalore से भाव पत्र प्राप्त किया गया, जिसे DST, New Delhi को अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु भेजा गया था। DST, New Delhi ने उपरोक्त भाव पत्र के अवलोकन पश्चात इस पर अपनी

स्वीकृति प्रदान की है। संदर्भित उपकरण की कुल कीमत रू0 6,40,416.00 (रूपये छः लाख चालीस हजार चार सौ सोलह मात्र) है, जिसमें CST (@ 14.5% राशि रू0 81,101.00 (रूपये इक्यासी हजार एक सौ एक मात्र) सम्मिलित है। DST, New Delhi ने इस उपकरण की खरीदी के लिए रू0 6,00,000.00 (रूपये छः लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की है, अतः शेष राशि रू0 40,416.00 (रूपये चालीस हजार चार सौ सोलह मात्र) को विभागीय बजट के उपकरण मद से प्राप्त की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के विभागीय बजट के उपकरण मद में रू0 5,00,000.00 का प्रावधान है।

**DST द्वारा स्वीकृति के पश्चात डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी.के द्वारा उक्त निर्माता कंपनी से उपकरण क्रय करने की अनुशंसा की है। प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

05. वार्षिक एवं पूरक परीक्षा 2015 के लिए उत्तर पुस्तिका छ.ग. संवाद से मुद्रण कराये जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार करना। (पृ.क्र. 11 से 12 तक)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

06. मूल विज्ञान केन्द्र में अध्यापन के लिए आवश्यक उपकरण एवं ग्रंथालय के लिए पुस्तक क्रय करने हेतु प्रस्ताव बजट प्रावधान के अनुमोदन करना। (पृ.क्र. 13)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

07. पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के लिए पुस्तक क्रय के लिए राशि रू. 40 लाख के उपयोगितार्थ प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 14 से 15 तक)


08. विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2014 से 100 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 107 प्रतिशत महंगाई राहत की दर, छ.ग. राज्य शासन के अनुरूप प्रदान करने के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 16 से 23 तक)

टीप : छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का वित्त निर्देश 52/2014 एवं पत्र क्रमांक 432/एफ-2013-04-00188/वित्त/नियम/चार, नया रायपुर दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 की छायाप्रति एवं कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न है।

09. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के ग्रेड वेतन संशोधन के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 24 से 27 तक)

टीप : कार्यालयीन टीप एवं छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-1/2009/1-3 दिनांक 22.07.2001 की छायाप्रति संलग्न।

10. मुख्य परीक्षा 2015 एवं सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2014-15 के लिए परीक्षा केन्द्रों का अनुमोदन करने पर विचार करना। (पृ.क्र. 28 से 38 तक)  
टीप : मुख्य परीक्षा 2015 एवं सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2014-15 के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची संलग्न।
11. केन्द्रीय क्रय समिति के सदस्य मनोनीत करने पर विचार करना। (पृ.क्र. 39)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
12. ग्रंथालय समिति के लिए माननीय कार्यपरिषद् के सदस्यों में से एक सदस्य की नियुक्ति पर विचार करना। (पृ.क्र. 40)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
13. अंकसूची/उपाधि प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति के सत्यापन शुल्क में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पर विचार करना। (पृ.क्र. 41)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
14. प्रिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन, उतई, जिला-दुर्ग के प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।  
टीप : प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।
15. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।



  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 2110/अका./का.प./2014

रायपुर, दिनांक : 05/12/2014

**प्रतिलिपि :-**

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)  




क्रमांक: /अका./का.प./2014

रायपुर, दिनांक : 05/11/2014

1762

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की छठवीं\* बैठक मंगलवार, दिनांक 28.10.2014 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
3. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	-	सदस्य
4. डॉ. भगवंत सिंह	-	सदस्य
5. डॉ. एस.सी. नैथानी	-	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	-	सदस्य
7. डॉ. मिताश्री मित्रा	-	सदस्य
8. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	-	सदस्य
9. डॉ. एम.आई. मेमन	-	सदस्य
10. डॉ. के.एन. बापट	-	सदस्य
11. डॉ. पी.सी. अग्रवाल	-	सदस्य
12. श्री एस.के. चक्रवर्ती	-	सदस्य
13. प्रो दिनेश मारोटिया	-	सदस्य
14. श्री ललित सुरजन	-	सदस्य
15. श्री शिवरतन शर्मा	-	सदस्य
16. श्री नवीन मारकण्डेय	-	सदस्य
17. श्री सत्यनारायण शर्मा	-	सदस्य
18. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

### कार्यवृत्त :

कार्यपरिषद के नवनियुक्त सदस्यगण प्रोफेसर डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय एवं प्रोफेसर डॉ. एस.सी. नैथानी का कुलसचिव द्वारा गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 18.09.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.09.2014 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 18.09.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.09.2014 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

03. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.10.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.10.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त संबंधी आगामी प्रकरणों पर विस्तृत जानकारी अवश्व दी जावे।

04. छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रित कराने का देयक रु. 12,32,000.00 (बारह लाख बत्तीस हजार रुपए) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रित कराने के फलस्वरूप प्राप्त देयक रु. 12,32,000.00 (रुपए बारह लाख बत्तीस हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

05. डॉ. बी.के. मेहता, निर्देशक एवं आचार्य (निलंबित) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान का याचिका क्रमांक 1730/2006 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : डॉ. बी.के. मेहता, निर्देशक एवं आचार्य (निलंबित) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान के याचिका क्रमांक 1730/2006 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :

“डॉ. बी.के. मेहता निलंबन की तिथि दिनांक 08.11.2005 से सेवानिवृत्ति के दिनांक 31.12.2008 तक निलंबित रहे हैं और इस प्रकार 06 वर्षों से सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। इस स्थिति में अब अग्रिम जांच करना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है और डॉ. बी.के. मेहता जिनकी आयु, अब लगभग 68 वर्ष हो गई है, के विरुद्ध यदि जांच की जावेगी तो उन्हें वृद्धावस्था में मानसिक प्रताड़ना भी होगी। ऐसी स्थिति में उनकी निलंबन अवधि पर No work no pay का निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जाकर, निलंबन अवधि का किसी प्रकार का भुगतान नहीं करते हुए सेवानिवृत्त दिनांक पर नियमानुसार उनका वेतन निर्धारित कर, पेंशन भुगतान की कार्यवाही किया जावे।”

06. विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार 107 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार 107 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

07. संविदा के संबंध में शासन के आदेश क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 15.07.2014 एवं पत्र क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 06.09.2014 को अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : संविदा के संबंध में शासन के आदेश क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 15.07.2014 एवं पत्र क्रमांक 9-1/2012/1-3 दिनांक 06.09.2014 को अंगीकृत करते हुए नियमानुसार भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

08. वार्षिक एवं पूरक परीक्षा 2015 रिजल्ट प्रोसेसिंग, परीक्षा फार्म, OMR शीट मुद्रण एवं ऑनलाइन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षा 2015 रिजल्ट प्रोसेसिंग, परीक्षा फार्म, OMR Sheet मुद्रण एवं ऑनलाइन कार्य (पुनर्मूल्यांकन एवं नामांकन को शामिल करते हेतु) सत्र 2014 की परीक्षा के लिए आदेशित फर्म, ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर से पूर्व निर्धारित दर पर कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

09. डॉ. दीपेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर्मोसी को यू.जी.सी. के द्वारा रमन फेलोशिप पोस्ट डॉक्ट्रल स्टडीज के लिए प्राप्त राशि रु. 22,86,836.00 को अग्रिम प्रदान करने के निवेदन पर विचार करना।

निर्णय : प्रकरण पर SBI-SMF ब्रांच रायपुर से जानकारी लेकर, अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता है।


10. मे. ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर को सत्र 2013-14 की नामांकन एवं परीक्षा संबंधी रिजल्ट प्रोसेसिंग की समस्त कार्यों की सम्पादन हेतु देयक रु. 26,01,123.00 भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : मेसर्स, ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर को सत्र 2013-14 के नामांकन एवं परीक्षा संबंधी रिजल्ट प्रोसेसिंग के समस्त कार्यों के सम्पादन उपरान्त प्राप्त देयक रु. 26,01,123.00 (रु. छब्बीस लाख एक हजार एक सौ तेइस मात्र) भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक सूची :

01. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 19.09.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 19.09.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।



02. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.10.2014 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.10.2014 का अनुमोदन किया गया।


03. NCNR द्वारा FT-NMR-Spectrophotometer उपकरण न्यूनतम दर रु. 25873750.00 पर क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।


निर्णय : NCNR द्वारा FT-NMR-Spectrophotometer उपकरण क्रय करने के संबंध में मेसर्स, **BRUKER BIOSPIN AG Industriestrasse 26, CH-8117 Faellanden (Switzerland)** द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर रु. 2,58,73,750/- (रुपए दो करोड़ अठाने लाख तिरहत्तर हजार सात सौ पचास मात्र) पर विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार क्रय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. सत्र 2006-09 तक की उपाधि में कुलपति के **Digital/ Facsimile Signature** के द्वारा उपाधि प्रदान किये जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष


  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक: 1763/अका./का.प./2014

रायपुर, दिनांक 05/11/2014

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
कुलसचिव



## कार्यपरिषद की छठवीं बैठक दिनांक 28.10.2014 का पालन प्रतिवेदन

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
	कार्यपरिषद के नवनियुक्त सदस्यगण प्रोफेसर डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय एवं प्रोफेसर डॉ. एस.सी. नैथानी का कुलसचिव द्वारा तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।	गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया।	
01	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 18.09.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.09.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।	---
02	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 18.09.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.09.2014 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।	---
03	विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.10.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.10.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त संबन्धी आगामी प्रकरणों पर विस्तृत जानकारी अवश्व दी जावे।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
04	छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रित कराने का देयक रु. 12,32,000.00 (बारह लाख बत्तीस हजार रुपए) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।	छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रित कराने के फलस्वरूप प्राप्त देयक रु. 12,32,00.00 (रुपए बारह लाख बत्तीस हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति दी गई।	भुगतान हो चुका है।
05	डॉ. बी.के. मेहता, निर्देशक एवं आचार्य (निलंबित) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान का याचिका क्रमांक 1730/2006 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रकरण पर विचार करना।	डॉ. बी.के. मेहता, निर्देशक एवं आचार्य (निलंबित) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान के याचिका क्रमांक 1730/2006 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया : "डॉ. बी.के. मेहता निलंबन की तिथि दिनांक 08.11.2005 से सेवानिवृत्ति के दिनांक 31.12.2008 तक निलंबित रहे हैं और इस प्रकार 06 वर्षों से सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। इस स्थिति में अब अग्रिम जांच करना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है और डॉ. बी.के. मेहता जिनकी आयु, अब लगभग 68 वर्ष हो गई है, के विरुद्ध यदि जांच की जावेगी तो उन्हें वृद्धावस्था में मानसिक प्रताड़ना भी होगी। ऐसी स्थिति में उनकी निलंबन अवधि पर No work no pay का निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जाकर, निलंबन अवधि का किसी प्रकार का भुगतान नहीं करते हुए सेवानिवृत्त दिनांक पर नियमानुसार उनका वेतन निर्धारित कर, पेंशन भुगतान की कार्यवाही किया जावे।"	प्रक्रियाधीन है।
06	विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार 107 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने पर विचार करना।	विश्वविद्यालय शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार 107 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।	आदेश क्र. 6095 दिनांक 28.10.2014 जारी किया गया।
07	संविदा के संबंध में शासन के आदेश क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 15.07.2014 एवं पत्र	संविदा के संबंध में शासन के आदेश क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 15.07.2014 एवं पत्र क्रमांक 9-1/2012/1-3 दिनांक 06.09.2014 को अंगीकृत	निर्णयानुसार आदेश जारी किया जा चुका है।

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
	क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 06.09.2014 को अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।	करते हुए नियमानुसार भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	
08	वार्षिक एवं पूरक परीक्षा 2015 रिजल्ट प्रोसेसिंग, परीक्षा फार्म, OMR शीट मुद्रण एवं ऑनलाइन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में विचार करना।	वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षा 2015 रिजल्ट प्रोसेसिंग, परीक्षा फार्म, OMR Sheet मुद्रण एवं ऑनलाइन कार्य (पुनर्मूल्यांकन एवं नामांकन को शामिल करते हेतु) सत्र 2014 की परीक्षा के लिए आदेशित फर्म, ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर से पूर्व निर्धारित दर पर कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।	आदेश किया जा चुका है।
09	डॉ. दीपेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर्मसी को यू.जी.सी. के द्वारा रमन फेलोशिप पोस्ट डॉक्ट्रल स्टडीज के लिए प्राप्त राशि रु. 22,86,836.00 को अग्रिम प्रदान करने के निवेदन पर विचार करना।	प्रकरण पर SBI-SMF ब्रांच रायपुर से जानकारी लेकर, अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता है।	निर्णयानुसार वित्त विभाग ने स्टेट बैंक के SME Branch Raipur को पत्र क्र. 1364/Fin/2014 दिनांक 17.11.2014 भेजा गया।
10	मे. ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर को सत्र 2013-14 की नामांकन एवं परीक्षा संबंधी रिजल्ट प्रोसेसिंग की समस्त कार्यों की सम्पादन हेतु देयक रु. 26,01,123.00 भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।	मेसर्स, ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर को सत्र 2013-14 के नामांकन एवं परीक्षा संबंधी रिजल्ट प्रोसेसिंग के समस्त कार्यों के सम्पादन उपरान्त प्राप्त देयक रु. 26,01,123.00 (रु. छब्बीस लाख एक हजार एक सौ तेइस मात्र) भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	भुगतान हो चुका है।
<b>पूरक विषय सूची</b>			
01	क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 19.09.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।	क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 19.09.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
02	भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.10.2014 के अनुमोदन पर विचार करना।	भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.10.2014 का अनुमोदन किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
03	NCNR द्वारा FT-NMR-Spectrophotometer उपकरण न्यूनतम दर रु. 25873750.00 पर क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।	NCNR द्वारा FT-NMR-Spectrophotometer उपकरण क्रय करने के संबंध में मेसर्स, BRUKER BIOSPIN AG Industriestrasse 26, CH-8117 Faellanden (Switzerland) द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर रु. 2,58,73,750/- (रुपए दो करोड़ अठारवन लाख तिरहत्तर हजार सात सौ पचास मात्र) पर विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार क्रय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	आदेश क्र. 188/NCNR/PRSU/14-15 दिनांक 30.10.2014 जारी किया जा चुका है।
<b>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय</b>			
1		सत्र 2006-09 तक की उपाधि में कुलपति के Digital/ Facsimile Signature के द्वारा उपाधि प्रदान किये जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।	प्रक्रियाधीन है।

कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

7

विषय:- डॉ. श्रीमती मंजू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर्मैसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में।

डॉ. श्रीमती मंजू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर्मैसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का विदेशी संस्थान में आईसीएमआर-एचआरडी दीर्घकालिक फेलोशिप/प्रशिक्षण के लिये मिसिसिपी, ओलेमिसिया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के लिये छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 42 के प्रावधानानुसार डॉ. श्रीमती मंजू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर को अध्ययन अवकाश अवधि में वेतन महंगाई भत्ते के अलावा अन्य प्रकार की भत्ते की पात्रता नहीं होगी तथा अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व (प्रपत्र-5) अनुबंध निष्पादित कराया जाना होगा।

अतः डॉ. श्रीमती मंजू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर्मैसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के आवेदनानुसार उपरोक्त उल्लेखित फेलोशिप के लिए छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 42 के प्रावधानानुसार दिनांक 15.12.2014 से 14.06.2015 तक छः माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

8

*Manju Singh*  
*19/11/14*

To

Date: November 17, 2014

The Vice Chancellor,  
Pt. Ravishankar Shukla University,  
Raipur (C.G.) 492010

*DMA*  
*(24/11/14)*

*as*  
*20/11/14*

Through: The Director, University Institute of Pharmacy, Pt. Ravishankar Shukla  
University, Raipur (C.G.) 492010.

Subject: Regarding ICMR-HRD Fellowship-Long term fellowship/ Training in foreign  
institute for the Year 2014-15.

Reference: letter no HRD fellowship-I(2)/2014-15 dated : October 7<sup>th</sup> , 2014.

Respected Sir,

With reference to above mentioned subject I Manju Singh, Assistant Professor, University Institute of  
Pharmacy, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur has been awarded with ICMR-HRD  
Fellowship-Long term fellowship/ Training in foreign institute for the Year 2014-15 at the research  
centre, School of Pharmacy, Pharmaceutics Department, University of Mississippi, Olemiss, U.S.A.

As per the letter of award (Copy enclosed), the fellowship is granted for a period of six months (from  
the date of joining) . The joining period of the awarded fellowship is before 31<sup>st</sup> march 2015.

I am therefore requesting you to kindly grant me study leave for six months from December, 15th  
2014 and oblige.

Thanking you

Sincerely yours

*[Signature]*  
(Manju Singh)



*Forwarded*  
*17/11/2014*  
*Director*  
*Office of Pharmacy*  
*Pt. Ravishankar Shukla University*  
*Raipur (C.G.)*

पी. ए. वी. एक्स./PABX : 26588980, 26588707, 26589336, 26589745,  
26589873, 26589414  
फैक्स/FAX : 011-26588662, 011-26589791, 011-26589258

तार/GRAM : विज्ञानी/SCIENTIFIC  
Web-site : www.icmr.nic.in  
E-mail : icmrhqds@sansad.nic.in



## भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

वी. रामलिंगस्वामी भवन, अन्सारी नगर, नई दिल्ली-110 029  
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH (MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE)  
V. RAMALINGASWAMI BHAWAN, ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110 029

No. HRD Fellowship-I (2) / 2014-15

Dated: 07<sup>th</sup> Oct., 2014

Subject: HRD Fellowship – Long Term Fellowship/Training in Foreign Institute

Dear Dr. Singh,

In captioned reference, this is to inform you that your application dated: 14/08/2014 for Long Term Fellowship/Training in Foreign Institute under the scheme of 'Human Resource Development for Health Research in the area of 'Proteomics and Disease Modelling' in the laboratory of Dr. S. Narasimha Murthy, Associate Professor-Pharmaceutics, 113 Faser Hill, The University of Mississippi University, MS 38677, USA has been approved by the Competent Authority for a period of 6 months subject to acceptance of terms and conditions as per annexure -I (enclosed). The fellowship /training will be initiated before 31<sup>st</sup> March, 2015.

If the terms & conditions are acceptable, kindly confirm your acceptance, through the head of the organization, within two weeks from the date of issue of this letter. Please also intimate this office about your proposed date of visit to the identified institute. Please also send a copy of acceptance by email to [rasikbg@gmail.com](mailto:rasikbg@gmail.com).

With regards,

Yours sincerely,

(Arti Chawla)

(Administrative Officer)  
for Director General

✓ Dr. Manju Singh, B-3 (Old), Teachers quarter, University campus,  
PT. R.S.U. Raipur (Chattishgarh)-492010  
CC to  
The Director,  
University Institute of Pharmacy,  
Pt. Ravi Shanker Shukla University Raipur  
Chattishgarh-492010

(Arti Chawla)  
(Administrative Officer)  
For Director General



THE UNIVERSITY OF  
**MISSISSIPPI**

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICS AND DRUG DELIVERY  
SCHOOL OF PHARMACY

10

November 10, 2014


To Whom It May Concern:

The Department of Pharmaceutics and Drug Delivery at The University of Mississippi in Oxford, MS wishes to host Dr. Manju Singh as a Long Term Fellow in response to the Fellowship awarded to her under the Scheme of Human Resource Development for Health Research by Indian Council for Medical Research (ICMR).

We agree to provide Dr. Manju Singh the laboratory facilities and mentorship to perform her project. It is our understanding that full funding will be available through the Competent Authority of the HRD Fellowship of ICMR. Therefore, the University of Mississippi would not be responsible for providing any financial support for Dr. Singh.


If you have any further questions, please do not hesitate to contact me.

Sincerely,



Michael A. Repka, DDS, Ph.D.  
Chair & Professor  
Pharmaceutics and Drug Delivery  
Director  
Pii Center for Pharmaceutical Technology  
School of Pharmacy  
P.O. Box 1848  
The University of Mississippi  
University, MS 38677  
662-915-1155  
[marepka@olemiss.edu](mailto:marepka@olemiss.edu)

I accept the offer.  
Thank you



(Manju Singh)

## कार्यपरिषद् में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

11

विषय : वार्षिक एवं पूरक परीक्षा 2015 के लिए उत्तर पुस्तिका छ0ग0 संवाद से मुद्रण कराये जाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

वार्षिक एवं पूरक परीक्षा 2015 के लिए उत्तर पुस्तिका पूर्व वर्ष की भाँति छ0ग0 संवाद से मुद्रण कराये जाने के संबंध में दर प्रस्तुत करने हेतु महाप्रबंधक छ0ग0 संवाद रायपुर को पत्र क्रमांक 902 दिनांक 18.11.2014 भेजा गया था। छ0ग0 संवाद द्वारा पत्र क्रमांक 8992 दिनांक 26.11.2014 के द्वारा मुख्य एवं पूरक उत्तर पुस्तिका मुद्रण करने के लिए दर प्रस्तुत किये गए हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

विवरण	पुराना दर वर्ष 2014	प्रस्तावित दर वर्ष 2015
मुख्य उत्तर पुस्तिका साईज : 9"×11" क्वालिटी: 24 पेज 80 GSM मैपलिथो पेपर एक कलर मुद्रण नंबरिंग पंचिंग एवं परफोरेशन सहित।	@2.56/- प्रति नग	@2.66/- प्रति नग
पूरक उत्तर पुस्तिका साईज : 9"×11" क्वालिटी: 16 पेज 80 GSM मैपलिथो पेपर एक कलर मुद्रण नंबरिंग पंचिंग एवं परफोरेशन सहित।	@1.76/- प्रति नग	@1.86/- प्रति नग
उपरोक्त दर के अतिरिक्त संवाद का सेवा शुल्क 10% तथा डिजायनिंग चार्ज राशि रू0 6.00/- प्रति स्ववेयर इंच अलग होगा।		

वार्षिक/पूरक परीक्षा 2014 के लिए 23.00लाख मुख्य उत्तर पुस्तिका एवं 12.50 लाख पूरक उत्तर पुस्तिका छ0ग0 संवाद से मुद्रण कराया गया था, जिसमें रू0 88,96,800/- अक्षरीय (अठ्यासी लाख छयान्चें हजार आठ सौ रूपये मात्र) व्यय हुआ था।

अतः पूर्व वर्ष की भाँति वार्षिक/पूरक परीक्षा 2015 के लिए निम्नानुसार उत्तर पुस्तिका छ0ग0 संवाद से मुद्रण कराये जाने हेतु प्रस्तावित है—

1. मुख्य उत्तर पुस्तिका साईज 9"×11" पृष्ठ संख्या 24 कुल 23 लाख अक्षरीय (तेईस लाख मात्र)
2. पूरक उत्तर पुस्तिका साईज 9"×11" पृष्ठ संख्या 16 कुल 12 लाख अक्षरीय (बारह लाख मात्र)

उपरोक्तानुसार उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

44  
2-12-14

12

## छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)  
जनसम्पर्क संचालनालय के पास, छोटापारा  
रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4048828, 2236994 फैक्स-4224220

क्रमांक / 8992 / छ.ग.सं. / प्रकाशन  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 26 / 11 / 2014

उपकुलसचिव (विकास)  
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय  
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- उत्तर पुस्तिका मुद्रण हेतु दर की जानकारी बाबत।  
संदर्भ:- आपका पत्र क्र.902/विकास/उ.प्र.मु./2014 रायपुर दिनांक 18/11/2014

विषयान्तर्गत लेख हैं कि उपरोक्त मुद्रण हेतु दर की जानकारी निम्न है:-

विवरण	संख्या	दर
मुख्य उत्तर पुस्तिका साईज : 9" X 11" क्वालिटी : 24 पेज 80 GSM मैपलिथो पेपर एककलर मुद्रण नंबरिंग पंचिंग एवं परफोरेशन सहित।	22 लाख नग	@2.66/- प्रति नग
पूरक उत्तर पुस्तिका साईज : 9" X 11" क्वालिटी : 16 पेज 80 GSM मैपलिथो पेपर एककलर मुद्रण नंबरिंग पंचिंग एवं परफोरेशन सहित।	14 लाख नग	@1.86/- प्रति नग

उपरोक्त दरों के अलावा संवाद का सेवा शुल्क 10 प्रतिशत तथा डिजायनिंग चार्ज राशि ₹ 6.00/- प्रति स्क्वेयर इंच अलग होगा। कृपया उपरोक्त दरों पर सहमति प्रदान कर हमें जल्द से जल्द मुद्रण कार्यादेश प्रदान करें। जिससे मुद्रण/प्रकाशन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

*Vidya*  
महाप्रबंधक

छत्तीसगढ़ संवाद  
रायपुर



**विषय:-** मूल विज्ञान केन्द्र में अध्यापन के लिए आवश्यक उपकरण एवं ग्रंथालय के लिए पुस्तकें क्रय करने हेतु प्रस्तावित बजट प्रावधान के अनुमोदन पर विचार करना ।

\*\*\*

**टीप:-** पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में मूल विज्ञान केन्द्र स्थापना हेतु शासन के पत्र क्रमांक एफ 3-14/2014/38-2 दिनांक 06.09.2014 के संदर्भ में बजट वर्ष 2014-15 में प्रावधानित राशि रूपये 200.00 लाख (दो सौ लाख रूपए मात्र) को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त राशि प्राप्त हो चुका है। विश्वविद्यालय द्वारा शासन को मूल विज्ञान केन्द्र स्थापना हेतु प्रस्तुत 'Year-wise Budget Structure' में प्रथम वर्ष हेतु ग्रंथालय बुक - 5 लाख, प्रयोगशाला उपकरण - 60 लाख, प्रयोगशाला पूर्ति - 15 लाख प्रयोगशाला (केमिकल/ग्लासवेयर/कन्ज्यूम/मिसले) - 10 लाख, प्रयोगशाला खर्च - 10 लाख, कंप्यूटर पेरीफेरल - 25 लाख, कंप्यूटर साफ्टवेयर - 5 लाख एवं क्लास रूम फर्नीचर - 15 लाख अनुमानित व्यय का प्रावधान बजट सत्र 2014-15 के लिए किया जाना प्रस्तावित है जिससे संबंधित कार्यवाही पूर्ण कर सत्र 2015-16 से प्रवेश प्रारंभ किया जा सके। इसी के अनुसार प्रस्ताव के अनुरूप नियमान्तर्गत क्रय करने की प्रशासनिक स्वीकृत आवश्यक है।

प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

7



पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार

पं. यशवंतर शुकल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

E-mail: library\_prsu@rediffmail.com, Phone No. 0771 - 2262686

14

विषय :-पुस्तक क्रय में राशि रु. 40.00 लाख के उपयोगार्थ प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।


पं. सुंदर लाल शर्मा ग्रंथागार द्वारा राशि रु. 40.00 लाख का पुस्तकों का क्रय निम्नांकित मदों से किया जाना प्रस्तावित है-

1. वि.वि. अनुदान आयोग मद से राशि रु. 30.00 लाख
  2. विश्वविद्यालय मद से राशि रु. 10.00 लाख
- (वि.वि बजट 2014.15:ग्रंथागार: पुस्तक एवं शोधपत्रिका राशि रु. 40.00 लाख में से)

राशि रु. 40.00 लाख का उपयोग निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है-

1. अध्यक्ष समस्त अध्ययनशालाओं से प्राप्त सूची में से Print Books एवं Multidisciplinary online Resources का क्रय किया जाना।
2. छात्र-छात्राओं की मांग की पुस्तकें, सामान्य संदर्भ, प्रतियोगिता पुस्तकें, छत्तीसगढ़ से संबंधित साहित्य का क्रय वि.वि. ग्रंथपाल के अनुसंशा पर किया जाना।
3. पुस्तक प्रदर्शनीय का आयोजन किया जाना।
4. पुस्तकों का क्रय वि.वि. द्वारा अनुमोदित दर (छूट) पर एवं अनुमोदित फर्म से किया जाना।

उपरोक्तानुसार राशि रु. 40.00 लाख के उपयोगार्थ प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत।

  
वि.वि. ग्रंथपाल

15 0



**Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)**



No. 1738/Grants Cell/2014

Raipur, dated 24/11/2014

The Librarian  
Pt. Sundar Lal Sharma Library  
Pt. Ravishankar Shukla University  
Raipur (C.G.)

Sub:- Allocation of UGC grant to library under XII Plan period (Under General Development Assistance Grant).


Ref:- UGC letter no. F. No. 74-/2012 (SU-II) dated 23<sup>rd</sup> July 2013

The Vice-chancellor is pleased to sanction an amount of Rs 40,00,000=00 (Rs. 30.00 Lacs for Books and Rs. 10.00 Lacs for <sup>Journals</sup>Generals) for year 2014-15 from the UGC grant of Rs. 3,90,05,000=00 sanction to Pt. Ravishankar Shukla University towards General Development Assistance for XII plan period.

You are required to utilize the grant at the earliest as per University norms.

*Shri Sahu / sent Raipur  
24/11/14*

By order,


  
Registrar

Endt. No. 1739 /Grants Cell/2014

Raipur, dated 24/11/2014

Copy to:-

1. Finance Controller, Finance
2. Secretary to VC/PA to the Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur(C.G.)

  
Registrar

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने हेतु टीप-

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में ।

छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग का वित्त निर्देश क्रमांक 52/2014 का पत्र क्रमांक 432/एफ-2013-04-00188/वित्त/नियम/चार/ नया रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के अनुसार विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशनरों को दिनांक 01.10.2014(माह अक्टूबर,2014 की पेंशन/परिवार पेंशन जो माह नवम्बर, 2014 में देय होगी) से, महंगाई भत्ता 100 प्रतिशत के स्थान पर अब 107 प्रतिशत के दर से देय पर इस वृद्धि से विश्वविद्यालय पर प्रतिमाह लगभग 10,443.00(रु. दस हजार चार सौ चौरालीस मात्र) का एवं सत्र 2014-15 में रुपये 62,660.00(बैसठ लाख छः सौ साठ रुपये मात्र) का अतिरिक्त व्यय भार आवेगा ।

वित्त नियंत्रक  
पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय  
नया रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 432/एफ-2013-04-00188/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त संभागायुक्त  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त कलेक्टर  
छत्तीसगढ़

**विषय :-** छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में ।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 180/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 25 अप्रैल, 2014 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 1.1.2014 से 100 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है।

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये । वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-10-2014 से (माह अक्टूबर, 2014 की पेंशन/परिवार पेंशन जो माह नवम्बर, 2014 में देय होगी)	पेंशन/परिवार पेंशन का 107 प्रतिशत

2/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं

होगी । कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/नि-2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

3/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी ।

4/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 144/97/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 5-6-2007 के अन्तर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गये हैं ।

5/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

31/10/2014

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH  
FINANCE & PLANNING DEPARTMENT  
MANTRALAYA,  
MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR**

No. 432/F-2013-04-00188/Fin./Rule/IV, New Raipur, Dated 31 Oct. 2014  
To,

- All Department of Government
- The President of Board of Revenue, Bilaspur
- All Commissioners of Divisions
- All Heads of Department
- All Collectors
- Chhattisgarh.

**Sub-Sanction of dearness relief on the Pension of the Pensioners of the State of Chhattisgarh.**

-----  
The State Government had sanctioned 100 % dearness relief w.e.f. 01-01-2014 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 180/F-2013-04-00416/Fin/Rule/IV, dated 25 April, 2014. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Period	Rate of Dearness relief per month
w.e.f. 01-10-2014 (Pension/family pension for the month of October 2014 paid in November 2014)	107% of Pension/family pension

2. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed

20

under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 211/379/F/R/IV/2007, dated 24-7-2007.


3. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

4. This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board/Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3<sup>rd</sup> commuted portion of pension in terms of this Department's Memo No. 144/97/F/R/IV/2007, dated 05-06-2007.

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No. E-4/1/83/R-V/IV, dated 29<sup>th</sup> January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

**By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh**



(S. K. Chakraborty)

31/01/2014

Joint Secretary  
Government of Chhattisgarh  
Finance Department



पू.क. 433/एफ-2013-04-00188/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, लोक आयोग/छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, मंत्रालय, नया रायपुर ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर ।
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर ।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
15. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, छ.ग. ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी /पेशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ ।
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
21. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपार्टमेंट, सी-7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स न. (पूर्व) मुंबई ।
22. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ ।
23. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर ।
24. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद ।
25. वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001.

22

26. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001.
27. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002.
28. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039
29. वित्त सचिव, तमिलनाडू शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018.
30. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020.
31. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001.
32. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001.
33. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160047.
34. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003.
34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001.
35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001.
36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001.
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001.
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001.
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा.
41. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001.
42. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101.
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 71701.
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून.
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004.
46. महालेखाकार (लेखा/हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001.
47. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, राजकोट 360001.
48. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश हैदराबाद 500463.
49. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश हैदराबाद 500463.
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मंधालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793001.
51. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001.
52. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001.
53. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002.
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695039.
55. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
56. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
57. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020.
58. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001.

59. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बैंगलोर 560002.
  60. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001.
  61. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017.
  62. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047.
  63. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गौर्टन कंसल भवन शिमला 171003.
  64. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001.
  65. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश लखनऊ 226001.
  66. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश इलाहाबाद 211001.
  67. प्रमुख महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल ट्रेजरी विल्डिंग कोलकाता 700001.
  68. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001.
  69. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, अगरतला 799001.
  70. वरिष्ठ उप महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001.
  71. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम लाकार भवन गंगटोक
  72. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन दीव पोस्ट पणजी गोवा 403101
  73. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
  74. प्रमुख वेतन एवं लेखाधिकारी, दिल्ली प्रशासन, विकास भवन, नई दिल्ली
  75. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली ।
  76. नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत शासन, नई दिल्ली ।
  77. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(ज्योति ठाकुर सोरी)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
वित्त विभाग



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

24

विषय:- सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के ग्रेड वेतन संशोधन बाबत।

डॉ. डी.एन. तिवारी समिति की अनुशंसा अनुसार छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश क्रमांक एफ 10-1/2009/1-3 दिनांक 22.07.2011 की कंडिका 2.3 में सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर पद की दिनांक 01.04.2006 से निम्नानुसार संशोधन किया गया है:-

1	2	3	4
क्रं.	पदनाम	छठवें वेतनमान में निर्धारित प्राप्त वेतनमान+ग्रेड वेतन	छठवें वेतनमान में प्रस्तावित संशोधित वेतनमान+ ग्रेड वेतन
1	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	9300-34800+4200	9300-34800+4300
2	डाटा एंट्री ऑपरेटर	5200-20200+2200	5200-20200+2400

अतः छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-1/2009/1-3 दिनांक 22.07.2011 की कंडिका 2.3 के अनुसार सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर पद की ग्रेड वेतन 4300 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर पद की ग्रेड वेतन 2400 दिनांक 01.04.2006 से या उक्त पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की पदभार ग्रहण की तिथि से जो भी बाद में हो ग्रेड वेतन संशोधन किए जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 22/ 7 / 2011

क्रमांक एफ 10-1/2009/1-3 : राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमानों से संबंधित विसंगतियों के संबंध में शासन को प्राप्त ज्ञापनों के संबंध में समुचित अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30 अप्रैल, 2008 को डॉ. डी. एन. तिवारी, उपाध्यक्ष, योजना मण्डल, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में एक सदस्यीय वेतनमान विसंगति समिति का गठन किया गया था।

2/ डॉ. डी. एन. तिवारी समिति द्वारा दिनांक 05 जून, 2009 को प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण करने हेतु शासन द्वारा दिनांक 10.08.2009 को गठित की गई आधिकारिक स्तर की समिति की अनुशंसा के आधार पर छठवें वेतनमान में परिलक्षित होने वाली विसंगतियों एवं डॉ. डी. एन. तिवारी समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं का छठवें वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने हेतु दिनांक 08.07.2010 को अपर मुख्य सचिव, की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। डॉ. डी. एन. तिवारी समिति तथा अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसाओं पर विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि-

- (2.1) संलग्न परिशिष्ट -अ में विभागों के पदों के लिए उनके समक्ष कॉलम (5) एवं (6) में दर्शित संशोधित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है। संशोधित वेतनमान दिनांक 01.04.2006 से देय होगा।
- (2.2) डॉ. डी.एन. तिवारी समिति की अनुशंसा अनुसार जारी इस आदेश में संशोधित वेतनमान का लाभ देने हेतु संबंधित विभागों द्वारा विभागीय भरती नियम की अनुसूची में दिनांक 01.04.2006 से संशोधित वेतनमान के अनुसार अधिसूचना द्वारा आवश्यक संशोधन किया जाएगा, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगी किन्तु, नियमों में संशोधन की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को भेजना आवश्यक होगा।

*ASul*

कमश...2


// 2 //

- (2.3) शासन के विभिन्न विभागों में निम्नांकित पद स्वीकृत होने की दशा में उनका दिनांक 01.04.2006 से संशोधित वेतनमान निम्नानुसार होगा :-

क्रमांक	पदनाम	पांचवे वेतनमान में संशोधित वेतनमान	छठवे वेतनमान में निर्धारित तत्स्थानी वेतनमान+ ग्रेड पे
2.3.1	सिस्टम एनालिस्ट ×	10000-15200	15600-39100 +6600
2.3.2	कम्प्यूटर प्रोग्रामर ×	8000-13500	15600-39100 +5400
2.3.3	सहायक प्रोग्रामर	5500-9000	9300- 34800+ 4300
2.3.4	सहायक अधीक्षक (विभागाध्यक्ष कार्यालय)	5000-8000	9300- 34800+ 4200
2.3.5	जाल एन्ट्री ऑपरेटर	4000-6000	5200-20200+2400
2.3.6	वाहन चालक (भारी वाहन)	3500-5200	5200-20200+2200
2.3.7	स्थल सहायक	3050-4590	5200-20200+1900

- (2.4) वेतनमान के संबंध में किसी भी बिन्दु पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता उद्भूत होने की दशा में वित्त विभाग की सहमति से आवश्यक स्पष्टीकरण/निर्देश जारी किया जाएगा।
- (2.5) वित्त एवं योजना विभाग की अधिसूचना क्रमांक 70/162/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 23.03.2009 की कण्डिका 6 के अनुसार संशोधित विकल्प इस मरिपत्र के जारी होने के तीन माह के भीतर देना होगा।
- 3/ यह आदेश वित्त विभाग की टीप क्रमांक 129/वि./नि./चार/2011, दिनांक 14.06.2011 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(के.आर.मिश्रा)

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग


कमश...3

// 3 //

पृ. क्रमांक एफ 10-1/2009/1-3,  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 22 / 7 / 2011

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
2. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
3. समस्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन/समस्त विभागाध्यक्ष छत्तीसगढ़,
4. सचिव, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर,
5. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, जीरो पार्क, रायपुर,
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर
7. सचिव, लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक आयोग, रायपुर,
8. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर,
9. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर,
10. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर,
11. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/  
संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ रायपुर,
12. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
13. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
14. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छ.ग. शासन, रायपुर,
15. समस्त कौषालय अधिकारी वित्त/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़,
16. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी कल्याण शाखा कक्ष-9, को  
मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु प्रेषित,
18. एन.आई.सी., मंत्रालय, रायपुर की ओर वेबसाइट [www.cg.nic.in/gad](http://www.cg.nic.in/gad) पर  
अपलोड हेतु प्रेषित,
19. समस्त अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(एल.डी. चौमडे)

अवर सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



E-Mail : rsuexam@gmail.com

// मुख्य परीक्षा 2015 के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची //

केंद्र/महा. कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
<b>जिला - रायपुर</b>			
101	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर		
103	शास. जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महा., बैरनबाजार, रायपुर		
104	शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महा., जी.ई. रोड, रायपुर		
105	शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा., जी.ई. रोड, रायपुर		
106	शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर		
107	शास. डॉ. राधा बाई नवीन कन्या महा., पुरानीबस्ती, रायपुर		
112	दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर		
113	विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर	147	सृष्टि कॉलेज ऑफ आई.टी. एण्ड मैनेजमेंट, जयस्तम्भ चौक, रायपुर
115	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर	162	अभ्युदय महा., चंदखुरी फार्म, रायपुर
116	श्रीमती प्र.गो.दास डागा कन्या महा., कचहरी चौक, रायपुर		
117	गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर		
118	विप्र कला/वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महा., रायपुर		
119	प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर		
120	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, रायपुर		
121	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा., शंकरनगर, रायपुर	155	ए.वी.एस. प्रेसीडेन्सी इंटरनेशनल कॉलेज, माना, रायपुर
122	अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर	123	शांति निकेतन महाविद्यालय, रायपुर
124	दिशा महाविद्यालय, रामनगर, रायपुर	125	पं. रामसखा उपाध्याय महा., रायपुर
		153	प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, माना, रायपुर
		161	दिशा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, विधानसभा, चंदखुरी मार्ग, रायपुर
127	सेन्ट्रल कॉलेज ऑफ इफॉर्मेशन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर		
128	कला-वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर		
129	आदर्श कला-वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंजमंडी, रायपुर		
130	केन्द्रीय-जेल, रायपुर (उप केन्द्र)		
131	सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर	150	कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, रायपुर
156	के.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, अटारी, रायपुर		

Con..2





केंद्र/महा. कोड	परीक्षा केंद्र का नाम	महा. कोड	केंद्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
158	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, रायपुर	159	ऊँ श्री साईनाथ महाविद्यालय, परसतराई (धरसीवा)
160	नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल महा., खरोरा		
163	शिक्षा स्नातक महाविद्यालय, मोंढर		
164	सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा-नेवरा)	165	आर.के.एस. महाविद्यालय, नेवरा-तिल्दा
166	सेंचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुंठ (तिल्दा)		
167	विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज		
168	शास. बट्टीप्रसाद कला-वाणिज्य महा., आरंग	183	आर.आई.टी.ई.ई कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट छत्तीना, मंदिर हसौद, रायपुर
169	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर	171	ग्रेसियस कालेज ऑफ एजुकेशन बेलभाठा अभनपुर जि. रायपुर
		194	सी.आई.टी. साईंस एंड कामर्स कालेज ग्राम भेलवाडीह अभनपुर जि. रायपुर
170	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा, अभनपुर		
174	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा, नवापारा	252	आर्यभट्ट कला-विज्ञान महा., कोपरा
175	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा (राजिम)		
<b>जिला- बलौदाबाजार -भाटापारा</b>			
201	शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार		
202	शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार		
203	शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा	204	कमला कांत शुक्ल इंस्टीट्यूट देवरी, भाटापारा जिला-रायपुर
205	शासकीय राजीव गाँधी महाविद्यालय, सिमगा		
206	शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी		
207	शासकीय महाविद्यालय, लवन		
208	शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगाँव		
209	शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़		
210	शासकीय स्व. दौलतराम शर्मा महा., कसडोल		
<b>जिला- गरियाबंद</b>			
251	शासकीय आर. एल. महाविद्यालय, राजिम		
253	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम)	254	कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम)
255	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	256	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, गरियाबंद
		257	गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गरियाबंद
259	शासकीय महाविद्यालय, देवभोग	260	उदती महाविद्यालय, देवभोग
262	शासकीय महा. फिंगेश्वर, गरियाबंद		
263	नवीन शास. महा. मैनपुर, गरियाबंद	258	श्री पैरी गंगा महाविद्यालय, मैनपुर
<b>जिला- महासमुंद</b>			
301	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा., महासमुंद	304	जयहिन्द महाविद्यालय, महासमुंद
302	शासकीय माता कर्मा कन्या महा., महासमुंद		
303	शांतीबाई कला-वाणिज्य महा., महासमुंद		
306	शासकीय खे.ल. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा		


केंद्र/महा. कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
307	शासकीय चन्द्रपाल डडसेना महा., पिथौरा		
308	शासकीय स्व. जयदेव सतपथी महा., बसना		
309	शासकीय स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महा., सराईपाली	310	रामचण्डी महाविद्यालय, सराईपाली
		312	शास. महाविद्यालय, बलौदा, जिला महासमुंद (उपकेन्द्र)
<b>जिला - धमतरी</b>			
351	शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव महाविद्यालय, धमतरी	353	जिनेसिस कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, धमतरी
		354	वन्देमातरम् महाविद्यालय, गणेश चौक, धमतरी
		355	काम्पटेक महाविद्यालय, धमतरी
		356	प्रज्ञा कला/वाणिज्य महा., रत्नाबांधा, धमतरी
352	शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी		
361	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, सिहावा (नगरी)	367	अलशम्स इन्फोटेक कॉलेज, नगरी
362	शासकीय महाविद्यालय, भखारा, धमतरी	363	छत्तीसगढ़ महतारी महाविद्यालय, भखारा
364	कला महाविद्यालय, जामगाँव (जी)		
365	शासकीय महाविद्यालय, कुरुद		
368	शास. महाविद्यालय, मगरलोड जिला धमतरी	366	गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड
<b>जिला - दुर्ग</b>			
401	शासकीय व्ही.एन.यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय, जी.ई. रोड, दुर्ग	412	भारती कॉलेज (बी.आई.आई.टी.) पुलगाँव नाका, दुर्ग
402	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा., दुर्ग		
403	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग		
404	सेठ आर.सी.एस. कला-वाणिज्य महा., दुर्ग		
406	रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, दुर्ग	413	बी.एम. कॉलेज, कोलिहापुर, पुलगाँव, दुर्ग
		462	शैलदेवी महाविद्यालय अण्डा, दुर्ग
423	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाईनगर	438	राष्ट्रीय एवं वैदेशिक भाषा सस्थान, अथर्व आई.टी., उतई रोड, दुर्ग
		440	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कला-वाणि.महा., रिसाली, भिलाई
426	भिलाई नायर समाजम् महा., सेक्टर-8, भिलाई		
428	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाईनगर	429	छत्तीसगढ़ वाणि.-विज्ञान महा.से.-6, भिलाई
		431	देव संस्कृति कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्राम खपरी, जिला दुर्ग

केंद्र/महा. कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
430	साँई महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई	433	एलायस इस्टी. ऑफ कामर्स एंड मैनेजमेंट, भिलाई
434	भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाईनगर		
435	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, हुडको, भिलाई	425	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कामर्स एंड बिजनेशन महा., भिलाई
441	सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाईनगर		
448	एम.जे. कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, कोहका-जुनवानी रोड, भिलाई	446	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार, सुपेला, भिलाई
		449	भिलाई कॉलेज ऑफ इंफर्म. टेक्ना., भिलाई
450	जी.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई	445	अतरसिंह महा., मॉडल टाउन, भिलाई
		453	बेलीराम महावि., पुरानीबस्ती, कोहका, भिलाई
		456	उदय महाविद्यालय, ए.सी.सी. बोगदा पुल के पास, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई
457	इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, वैशालीनगर		
458	नागरिक कल्याण महा., नंदिनीनगर	467	आई.बी.टी. कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड आर्ट्स, अहिबारा, दुर्ग
461	शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3	476	शास. नवीन महा. खुर्सीपार भिलाई, जि.दुर्ग
463	शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई		
464	शासकीय महाविद्यालय, पाटन		
465	शासकीय महाविद्यालय, जामगाँव आर.	466	कर्माता कला-वाणिज्य, विज्ञान महा., जामगाँव (आर) (उप केन्द्र)
468	शासकीय चन्दूलाल चंद्राकर महाविद्यालय, धमधा	474	नवीन शासकीय महाविद्यालय बोरी जिला दुर्ग (उप केन्द्र)
<b>जिला- बेमेतरा</b>			
501	शासकीय पं.ज.ला.ने. कला एवं वाणिज्य महा., बेमेतरा	506	समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण समिति ग्राम-फरी, बीजभाटा जिला बेमेतरा
		507	शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा
502	शासकीय पं. देवीप्रसाद चौबे महा., साजा		
503	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बेरला, दुर्ग		
504	शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया, दुर्ग		
505	शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़		
<b>जिला-बालोद</b>			
551	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद	563	भोरमदेव महाविद्यालय ग्राम पेरी, गुण्डरदेही, जिला-बालोद
552	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा		
553	शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला	560	विध्यवासिनी महा., सनोद-बोहरा, जि.बालोद
554	शासकीय शहीद कौशल यादव महा., गुण्डरदेही	555	माता कर्मा कला-वाणिज्य महा., गुण्डरदेही (उपकेन्द्र)
556	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डोंडीलोहारा	557	संत राजाराम सदाणी नागरिक महा., डोंडीलोहारा
558	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुरुर	559	मौ बहादुर कलारिन कला-विज्ञान महा., गुरुर
561	शासकीय कंगला मांझी महाविद्यालय, डोंडी		

केंद्र/महा. कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
562	शासकीय एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा		
564	शासकीय महाविद्यालय, खेरथा	565	नवीन शास.महा.,मंगचुवा,बालोद (उपकेन्द्र)
566	नवीन शास. महा., बेलौदी, जिला बालोद		
<b>जिला - कबीरधाम</b>			
601	आचार्य, पंथ श्री गृथमुनि नाम साहेब शास.महा. कवर्धा	603	सम्राट अशोक कॉलेज ऑफ इंफर्मे. टेक्ना.कवर्धा
		604	यूनिक एजु. सोसाइटी, मस्जिद काम्लेक्स, कवर्धा
		676	नवीन शास. महा., सालहेवारा, राजनांदगांव (उपकेन्द्र)
602	शास. राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महा., कवर्धा		
605	स्व. श्री डी.पी. चौबे शास. महाविद्यालय, गण्डई		
606	शास. गजानन माधव मुक्तिबोध महा., सहसपुर लोहारा		
607	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बोड़ला		
608	शासकीय नवीन महा., पाण्डातराई		
609	नवीन शास. महा. पिपरिया, कबीरधाम		
611	इंदिरा गांधी शास. महाविद्यालय, पंडरिया,जि० कबीरधाम	610	रामानुज कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पंडरिया, कबीरधाम
<b>जिला - राजनांदगाँव</b>			
651	शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव	653	कान्फ्लुयेन्स कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, राजनांदगाँव
		654	एलीगेंट महा.,भरकापारा, राजनांदगाँव
655	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगाँव	661	सोमनी महा. सोमनी, जिला-राजनांदगाँव
657	शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगाँव		
665	शासकीय लालचक्रधर शाह महा., अम्बागढ़ चौकी		
666	शासकीय वीरांगना अवतिबाई महा., छुईखदान		
667	शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महा., छुरिया		
668	शासकीय उपाधि महाविद्यालय, डोंगरगाँव		
669	शासकीय पं.ज.लाने. महा., डोंगरगढ़	677	रायल कॉलेज, डोंगरगढ़, राजनांदगाँव
670	शासकीय महाविद्यालय, घुमका		
671	शासकीय रानी रश्मि देवी सिंह महा., खैरागढ़		
672	शासकीय कुंजबिहारी चौबे महाविद्यालय, लालबहादुर नगर		
673	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर		
674	शास. वीरांगना रानी अवतिबाई कला-वाणि. महा., रामाटोला		
675	शासकीय महाविद्यालय, मोहला		

- टीप :-**
1. परीक्षार्थी ऑनलाईन द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय महाविद्यालय कोड का उल्लेख करेंगे।
  2. उपरोक्त परीक्षा केन्द्र सूची पूर्णतः अस्थायी है, जो वि.वि. के नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत संचालित होगी।
  3. केन्द्र कोड क्र. 502 के लिए पृथक से केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की जावेगी एवं शेष परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य, केन्द्राध्यक्ष होंगे।
  4. आसजित महाविद्यालय परीक्षा केन्द्रों को शैक्षणिक स्टाफ, भवन, फर्नीचर इत्यादि परीक्षा केन्द्रों के मांग पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना आवश्यक है।
  5. परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कापी अथवा परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करने के पूर्व उसकी सम्यक जाँच कर लें। तत्पश्चात ही परीक्षा आवेदन अग्रेषित करें, क्योंकि इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित महा०/परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य/ केन्द्राध्यक्ष की होगी।
  6. कृपया ध्यान देवे कि परीक्षा केन्द्र निर्धारण शुल्क जमा करने हेतु पत्र इसके साथ संलग्न है। तदनुसार उसमें दर्शाई गई तिथि तक अनिवार्य रूप से वांछित केन्द्र निर्धारण शुल्क जमा करावें।

आदेशानुसार,

  
कुलसचिव

पृ.क्र. 2696/परीक्षा/वार्षिक/केंद्र/2014

रायपुर, दिनांक 12/11/2014

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य/अध्यक्ष, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/अध्ययनशाला,
2. उ.कु.स., गोपनीय/अकादमी/वित्त नियंत्रक/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/विकास/समस्त कार्यसहायक (परीक्षा)
3. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. संपादक समस्त स्थानीय समाचार पत्र रायपुर/अमर किरण दुर्ग/सबेश संकेत राजनांदगाँव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

D/annual ExamCem list 2015

*Bisram*  
वि०क०अ० (परीक्षा)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2014-15 के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची

केन्द्र/महा.कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
101	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर	101	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
		118	विप्र कला-वाणिज्य महा., वि.वि. के पीछे, रायपुर
107	शास. डॉ. राधा बाई नवीन कन्या महा. पुरानी बस्ती, रायपुर	107	शास. डॉ. राधा बाई नवीन कन्या महा पुरानी बस्ती, रायपुर
		117	गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर
112	दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर	103	शासकीय जे. योगानंदम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
		112	दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर
		113	विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर
115	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर	115	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर
		121	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा., शंकरनगर, रायपुर
		123	शांति निकेतन महाविद्यालय, रायपुर
		129	आदर्श कला-वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंजमंडी, रायपुर
		131	सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर
		104	शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महा., जी.ई. रोड, रायपुर
119	प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर	119	प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर
		120	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, रायपुर
128	कला-वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर	116	श्रीमती प्र.गो.दास डागा कन्या महा., कचहरी चौक, रायपुर
		128	कला-वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर
164	शासकीय महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा-नेवरा)	164	शासकीय महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा-नेवरा)
		166	सेंचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा)
169	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महा., अभनपुर	169	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर
201	शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार	201	शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार
		210	शासकीय स्व. दौलतराम शर्मा महा., कसडोल
203	शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा	203	शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा
205	शासकीय राजीव गाँधी महाविद्यालय, सिमगा	205	शासकीय राजीव गाँधी महाविद्यालय, सिमगा
209	शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़	208	शास. राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगांव
		209	शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़
251	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम	175	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा (राजिम)
		251	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम
255	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महा, गरियाबंद	255	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद
301	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा., महासमुन्द्र	168	शास. बदीप्रसाद कला-वाणिज्य महा., आरंग
		301	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा., महासमुन्द्र
306	शासकीय खे.ल. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा	306	शासकीय खे.ल. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा
		307	शासकीय चन्द्रपाल डडसेना महा., पिथौरा
		309	शासकीय स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महा., सराईपाली
309	शास.स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहमहा., सराईपाली	310	रामचण्डी महाविद्यालय, सराईपाली
351	शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव महा., धमतरी	351	शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव महाविद्यालय, धमतरी
361	शास. सुखराम नागे महा., सिहावा (नगरी)	361	शास. सुखराम नागे महा., सिहावा (नगरी)
365	शासकीय महाविद्यालय, कुरुद	365	शासकीय महाविद्यालय, कुरुद
		362	शासकीय महाविद्यालय भखारा
		366	गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड
		402	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा., दुर्ग
402	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा., दुर्ग	402	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा., दुर्ग
		403	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग
		434	भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाईनगर
404	सेठ आर.सी.एस. कला-वाणिज्य महा., दुर्ग	404	सेठ आर.सी.एस. कला-वाणिज्य महा., दुर्ग
		406	रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, दुर्ग
		435	स्वामी स्वरूपानंद शिक्षा संस्थान, हुडको, भिलाई

35

...2..

441	सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाईनगर	426	भिलाई नायर समाजम् महा., सेक्टर-8, भिलाई
		428	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाईनगर
		438	राष्ट्रीय एवं वैदेशिक भाषा सस्थान, भिलाई
		441	सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाईनगर
461	शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3	430	साँई महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई
		448	एम.जे. कॉलेज ऑफ इंफर्मे.टेक्ना.,कोहका-जुनवानी रोड भिलाई
		450	जी.डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्ना.,कोहका-कुरुद रोड, भिलाई
		461	शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3
463	शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई	463	शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई
464	शासकीय महाविद्यालय, पाटन	464	शासकीय महाविद्यालय, पाटन
468	शासकीय चन्दूलाल चंद्राकर महाविद्यालय, धमधा	468	शासकीय चन्दूलाल चंद्राकर महाविद्यालय, धमधा
501	शासकीय पं.ज.लाने. कला एवं वाणिज्य महा., बेमेतरा	501	शासकीय पं.ज.लाने. कला एवं वाणिज्य महा., बेमेतरा
		504	शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया जिला - दुर्ग
		505	शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़
502	शास. देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, साजा	502	शास. देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, साजा
551	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद	551	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद
		557	संत राजाराम सदाणी नागरिक महा., डोंडीलोहारा
552	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा	552	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा
562	शासकीय एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा	562	शासकीय एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा
564	शा. महा. खेरथा, जिला-बालोद	564	शा. महा. खेरथा, जिला-बालोद
601	आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. महा., कवर्धा	601	आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. महा., कवर्धा
		606	शासकीय गजानंद माधव मुक्तिबोध महा., सहसपुर लोहारा
605	स्व. श्री डी.पी. चौबे शास. महाविद्यालय, गण्डई	605	स्व. श्री डी.पी. चौबे शास. महाविद्यालय, गण्डई
657	शासकीय कमलादेवी महिला महा., राजनांदगाँव	657	शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगाँव
665	शासकीय लालचक्रधर शाह महा., अम्बागढ़ चौकी	665	शासकीय लालचक्रधर शाह महा., अम्बागढ़ चौकी
668	शासकीय उपाधि महाविद्यालय, डोंगरगाँव	668	शासकीय उपाधि महाविद्यालय, डोंगरगाँव
669	शासकीय पं.ज.लाने. महा., डोंगरगढ़	669	शासकीय पं.ज.लाने. महा., डोंगरगढ़
670	शासकीय महाविद्यालय, घुमका	670	शास. कुंजबिहारी चौबे महा., लालबहादुर नगर
671	शासकीय रानी रश्मि देवी सिंह महा., खैरागढ़	670	शासकीय महाविद्यालय, घुमका
		666	शासकीय वीरांगना अवतिबाई महा., छुईखदान
		671	शासकीय रानी रश्मि देवी सिंह महा., खैरागढ़
673	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर	673	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर

टीप :- 1. उपरोक्त परीक्षा केन्द्र सूची पूर्णतः अस्थायी है, जो वि.वि. के नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत संचालित होगी।  
 2. संबंधित परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य केन्द्राध्यक्ष होंगे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 09/10/2014

पृ.क. 2491/परीक्षा/महावि./सेमेस्टर/2014  
प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष, सम्बद्ध महाविद्यालय,
2. उ.कु.स. गोपनीय/अकादमी/विकास/प्रभारी, वि.वि. मुद्रणालय/समस्त कार्यसहायक (परीक्षा)
3. वित्त नियंत्रक/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्,
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,  
पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
6. संपादक समस्त स्थानीय समाचार-पत्र रायपुर/अमर-किरण, दुर्ग/सबेरा-संकेत, राजनांदगाँव को इस निवेदन के साथ अप्रेषित कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

वि.क.अ. (परीक्षा)

\*\*\*







क्र. 2552 / परीक्षा / महा0 / सेमे0 / 2014

रायपुर, दिनांक 21 / 10 / 2014

// संशोधित अधिसूचना //

सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2014-15 के लिए परीक्षा केन्द्र एवं आसंजित महा0 की संशोधित सूची

विश्वविद्यालयीन अधिसूचना क्र. पृ. क्र. 2491/परीक्षा/महा0/सेमे0/2014 रायपुर दि0 09.10.2014 एवं क्र. 2542/परीक्षा/महा0/सेमे0/2014 रायपुर दि0 17.10.2014 द्वारा प्रेषित की गई सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची में केन्द्र क्र. 601-आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. महाविद्यालय कवर्धा (छ0ग0) के आसंजित महाविद्यालयों की सूची में इंदिरा गॉधी शास0 महाविद्यालय पंडरिया (छ0ग0) को समाहित करते हुये निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

601	आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. महा., कवर्धा	601	आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. महा., कवर्धा
		606	शासकीय गजानंद माधव भुक्तिबोध महा., सहसपुर लोहार
		611	इंदिरा गॉधी शास0 महाविद्यालय, पंडरिया (छ0ग0)

- टीप:- 1. प्राचार्य, इंदिरा गॉधी शास0 महाविद्यालय, पंडरिया (छ0ग0) उपरोक्तानुसार कृपया अपने महाविद्यालय के संबंधित सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को इससे अवगत करावें।
2. प्राचार्य, आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. महा., कवर्धा (छ0ग0) को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त महा0 के संबंधित एम.ए. के हिन्दी, इतिहास एवं समाजशास्त्र विषय के परीक्षार्थियों (सेमेस्टर) को भी अपने महा0/परीक्षा केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित करावें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्र. 2553 / परीक्षा / महा0 / सेमे0 / 2014

रायपुर, दिनांक 21 / 10 / 2014

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, इंदिरा गॉधी शास0 महाविद्यालय, पंडरिया (छ0ग0) को इस निर्देश के साथ कि वे एम.ए. सेमे0 के समस्त संबंधित परीक्षार्थियों को इससे अवगत कराते हुये उपरोक्त परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में शामिल करावें।
2. प्राचार्य, आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. महा., कवर्धा (छ0ग0) को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्त आसंजित महाविद्यालय के संबंधित परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में सम्मिलित करावें।
3. उ.कु.स., गोपनीय/अकादमी/ विकास/ संबंधित कार्यसहायक (परीक्षा)।
4. वित्त नियंत्रक /संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् /अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/ वि0क0अ0 कम्प्यूटर गोप0।
5. डाटा सेन्टर को इस सूचना के साथ अग्रेषित कि वे उपरोक्तानुसार सेमेस्टर की केन्द्र सूची में उपरोक्तानुसार सुधार कर वि. वि. को सूचित करें।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. संपादक समस्त स्थानीय समाचार पत्र रायपुर/अमर किरण दुर्ग/सबेरा संकेत राजनांदगांव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

B. S. S. S.  
वि0क0अ0(परीक्षा)

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The final part of the document provides a summary of the findings and offers recommendations for future work. It suggests that regular audits and updates to the data collection process are essential for maintaining the integrity of the information.

The data shows a clear trend of increasing activity over the period studied. This is consistent with the expectations set at the beginning of the project. The most significant finding is the correlation between the variables being tracked, which suggests a strong relationship between the two.

Further analysis of the data reveals several key insights. For example, the peak activity occurs during the middle of the period, which may be related to external factors such as seasonal changes or specific events. These findings are crucial for understanding the underlying patterns and for making informed decisions.

In conclusion, the study has provided a comprehensive overview of the data and its implications. The results are promising and indicate that the current methods are effective for data collection and analysis. Future research should focus on refining these methods and exploring new areas of interest.



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

E-Mail : rsuexam@gmail.com

37 50

क्र. 2579 / परीक्षा / महा0 / सेमे0 / 2014

रायपुर, दिनांक 27 / 10 / 2014

// संशोधित अधिसूचना //

सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2014-15 के लिए परीक्षा केन्द्र एवं आसंजित महा0 की संशोधित सूची

विश्वविद्यालयीन अधिसूचना क्र. पृ. क्र. 2491 / परीक्षा / महा0 / सेमे0 / 2014 रायपुर दि0 09.10.2014 द्वारा प्रेषित की गई सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची में केन्द्र क्र. 402-शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा. दुर्ग (छ0ग0) के आसंजित महाविद्यालयों की सूची में से जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग एवं भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाईनगर को विलोपित किया जाता है एवं भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाईनगर को सेमेस्टर परीक्षा केन्द्र घोषित किया जाता है जिसमें जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग को समाहित करते हुये निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

434	भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाईनगर	434	भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाईनगर
		403	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग

- टीप:- 1. प्राचार्य, जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग (छ0ग0) को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अपने महाविद्यालय के संबंधित सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को इससे अवगत कराते हुये भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाईनगर परीक्षा केन्द्र में सेमे. परीक्षा में सम्मिलित करावें।
2. प्राचार्य, भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाईनगर (छ0ग0) को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग महा0 के संबंधित विषयों के परीक्षार्थियों (सेमेस्टर) को भी अपने महा0 / परीक्षा केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित करावें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 27 / 10 / 2014

पृ.क्र. 2580 / परीक्षा / महा0 / सेमे0 / 2014

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा., दुर्ग (छ0ग0) को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्त संशोधन से अवगत होकर अपने परीक्षा केन्द्र में अपने महाविद्यालय के परीक्षार्थियों का ही परीक्षा संचालन करते हुये परीक्षा संपन्न करावें।
2. प्राचार्य, भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाईनगर को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्त आसंजित महाविद्यालय के संबंधित परीक्षार्थियों को अपने सेमेस्टर परीक्षा केन्द्र में सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित करावें।
3. प्राचार्य, जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्त संशोधन से अवगत हो एवं तदानुसार अपने महाविद्यालय के संबंधित परीक्षार्थियों को भी अवगत कराते हुये भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाईनगर परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में सम्मिलित करावें।
4. उ.कृ.स., गोपनीय / अकादमी / विकास / संबंधित कार्यसहायक (परीक्षा)।
5. वित्त नियंत्रक / संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / वि0क0अ0 कम्प्यूटर गोप0।
6. डाटा सेन्टर को इस सूचना के साथ अग्रेषित कि वे उपरोक्तानुसार सेमेस्टर की केन्द्र सूची में उपरोक्तानुसार सुधार कर वि. वि. को सूचित करें।
7. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. संपादक समास्त स्थानीय समाचार पत्र रायपुर / अमर किरण दुर्ग / सबेरा संकेत राजनांदगाँव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

वि0क0अ0(परीक्षा)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

E-Mail : rsuexam@gmail.com

38



क्र. 2721 / परीक्षा / महा0 / सेमे0 / 2014

रायपुर, दिनांक 18 / 11 / 2014

// संशोधित अधिसूचना //

सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2014-15 के लिए परीक्षा केन्द्र एवं आसंजित महा0 की संशोधित सूची:-

विश्वविद्यालयीन अधिसूचना क्र. पृ. क्र. 2491/परीक्षा/महा0/सेमे0/2014 रायपुर दि0 09.10.2014 द्वारा प्रेषित की गई सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची में संबंधित परीक्षा केन्द्रों में निम्नांकित दो महाविद्यालयों के नाम आसंजित महाविद्यालय की सूची में नहीं आ पाया था, क्योंकि इन महाविद्यालयों में सेमेस्टर की कक्षाएं प्रारंभ होने की सूचना नहीं थी। अतएव बाद में जानकारी होने पर निर्देशानुसार अब इन्हे पूर्व घोषित संबंधित परीक्षा केन्द्रों के साथ उनके पूर्व में आसंजित महा0 के साथ निम्नांकित महा0 को भी आसंजित किया जाता है :-

केन्द्र कोड	सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	आसंजित महाविद्यालयों की सूची
461	शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3	457	इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, वैशालीनगर
112	दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर	158	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, रायपुर

- टीप:- 1. प्राचार्य, इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, वैशालीनगर (छ.ग.) एवं प्राचार्य, शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महा0 धरसीवा रायपुर (छ0ग0) को उपरोक्तानुसार इस निर्देश के साथ कि कृपया अपने महाविद्यालय के संबंधित सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को इससे अवगत करावें।
2. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3 एवं प्राचार्य, दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर को इस निर्देश के साथ कि वे अपने सेमेस्टर परीक्षा केन्द्र में उपरोक्त संबंधित महाविद्यालय के सेमेस्टर के संबंधित परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में सम्मिलित करावें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 18 / 11 / 2014

पृ.क्र. 2722 / परीक्षा / महा0 / सेमे0 / 2014

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3 (छ0ग0) को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्त आसंजित महाविद्यालय के सेमे0 के संबंधित परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में सम्मिलित करावें।
2. प्राचार्य, दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर (छ0ग0) को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्त आसंजित महाविद्यालय के सेमे0 के संबंधित परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में सम्मिलित करावें।
3. प्राचार्य, इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, वैशालीनगर (छ0ग0) को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्त संबंधित परीक्षा केन्द्र में अपने महा0 के सेमे0 के संबंधित परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करावें।
4. प्राचार्य, शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, रायपुर (छ0ग0) को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्त संबंधित परीक्षा केन्द्र में अपने महा0 के सेमे0 के संबंधित परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करावें।
5. उ.कु.स., गोपनीय/अकादमी/ विकास/ संबंधित कार्यसहायक (परीक्षा)।
6. वित्त नियंत्रक / संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/ वि0क0अ0 कम्प्यूटर गोप0।
7. डाटा सेन्टर को इस सूचना के साथ अग्रेषित कि वे उपरोक्तानुसार सेमेस्टर की केन्द्र सूची में उपरोक्तानुसार सुधार कर वि. वि. को सूचित करें।
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. संपादक समस्त स्थानीय समाचार पत्र रायपुर/अमर किरण दुर्ग/सबेरा संकेत राजनांदगाँव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

वि0क0अ0(परीक्षा)

## कार्यपरिषद् में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय:- केन्द्रीय क्य समिति में सदस्य मनोनीत करने हेतु।

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.07.2011 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण के कंडिका 02 में डॉ० गौरीशंकर, प्राध्यापक, सांख्यिकी अध्ययनशाला पं०रवि०शु० वि०वि० रायपुर को केन्द्रीय क्य समिति में कार्यपरिषद् की ओर से सदस्य मनोनीत किया गया था। निनियम 108 के प्रावधानुसार केन्द्रीय क्य समिति में निम्नानुसार सदस्य मनोनयन किये जाने का प्रावधान है-

क०	केन्द्रीय क्य समिति के सदस्य
1	कुलसचिव
2	कार्यपरिषद् के द्वारा मनोनीत सदस्य
3	वरिष्ठ प्राध्यापक
4	वित्ताधिकारी या उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव वित्त
5	उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव विकास एवं भण्डार
6	संबंधित विभागाध्यक्ष

डॉ० गौरीशंकर, प्राध्यापक, सांख्यिकी अध्ययनशाला का कार्यकाल केन्द्रीय क्य समिति में 03 वर्ष से अधिक होने के कारण उनके स्थान पर कार्यपरिषद् की ओर से केन्द्रीय क्य समिति में सदस्य मनोनीत किये जाने हेतु कार्यपरिषद्के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

*Mey*  
2-12-14

12

40

विषय:- ग्रंथालय समिति के लिए माननीय कार्यपरिषद के सदस्यों में से एक सदस्य की नियुक्ति पर विचार करना।

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के धारा 29-2 के अधीन माननीय कार्यपरिषद के सदस्यों में से एक सदस्य की नियुक्ति ग्रंथालय समिति के दो पदों में से रिक्त एक पद के लिए किया जाना है।

अवएव कार्यपरिषद द्वारा ग्रंथालय समिति के लिए कार्यपरिषद के सदस्यों में से एक सदस्य की नियुक्ति किये जाने पर विचार करना प्रस्तावित है।

विश्वविद्यालय ग्रंथपाल

(4)

विषय :- अंकसूची/उपाधि प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियों के सत्यापन शुल्क में वृद्धि हेतु प्रस्ताव ।

टीप :-

	पूर्व निर्धारित शुल्क	प्रस्तावित शुल्क
सामान्य	रुपये 100/- (सन् 2003 में निर्धारित)	रुपये 300/-
विदेश के लिए	रुपये 100+400 डाक खर्च सहित रुपये 500/- (सन् 2011 में निर्धारित)	रुपये 300/- + रुपये 1200/- डाक खर्च सहित रुपये 1500/-

औचित्य :- रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा रिपोर्ट भेजने पर लगभग रुपये 75/- से 100/- का डाक व्यय होता है तथा संबंधित संस्था को रिपोर्ट प्राप्त होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है आवेदक द्वारा रिपोर्ट नहीं मिलने की शिकायत बार-बार करते हैं। यदि सत्यापन रिपोर्ट (विदेश के लिए) को स्पीड-पोस्ट द्वारा प्रेषित किया जाये तो लगभग रुपये 800/- से 900/- का डाक व्यय होगा, तथा संबंधित संस्था को रिपोर्ट प्राप्त होने कम समय लगेगा।

कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

\*\*\*





विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 7वीं\* बैठक शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 को  
अपरान्ह 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

01. जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के लिए प्रायोगिक उपकरण क्रय करने संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप : जैविकी अध्ययनशाला रायपुर के लिए DRS-SAP योजना के अंतर्गत निम्नानुसार प्रायोगिक उपकरण क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति ने अनुशंसा किया है:-

1. Vital Sense Rs. 10,82,550=00
2. Acti watch Spectrum Rs. 9,36,495=00
3. Acti watch AW-2 Rs. 771,057=00

Above item 1-3 purchase from the manufacture Respirationics- Philips USA through their South Asia dealer M/S G.V. Biomedical, New Delhi. The items are propriety item.

4. RT.PCR US Dollar 18500=00

Indian Rs. 1393458=00 including (L/C opening charges and variation of Dollar & Custom Duty) purchase on Lowest Rate basis from the tender of NCNR.

उपरोक्त उपकरण पर कुल रू. 4183560=00 व्यय होगा। UGC DRS SAP द्वारा स्वीकृत राशि रू. 56.00 लाख में से भुगतान होगा। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

02. जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के लिए प्रायोगिक उपकरण क्रय करने संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप : UGC XII th Plan Equipment Grant में से निम्नलिखित उपकरण क्रय किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति के अनुशंसा के पश्चात् कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

1. Atomic Absorption spectrophotometer Rs. 27,58,301=00

With intergrative Flame and Graphic Furnace  
System with Auto Sampler Model AA8000 FG

Purchase from M/S Labomedia Analytical Instruments Pvt. Ltd. Hyderabad on Lowest rate basis from the Tender of NCNR

2. P.C. Controlled Double Beam Rs. 6,19,720=00

UV Vis Spectrophotometer  
Model Evolution 201 with insight Software

Purchase from M/S Termo electronic Scientific Instrument Mumbai on Lowest rate basis from the Tender of NCNR

कुल रू. 3378021.00 वि.वि. द्वारा विभाग को स्वीकृत रू. 35.00 लाख में से किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

03. भूगोल विभाग के लिए DST-FIST परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान से Rolta Geomatica Software (10 User) क्रय करने के संबंध में केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 01)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
04. विदेशी शोध पत्रिका क्रय के संबंध में विभागीय क्रय समिति/केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर विचार करना। (पृ.क्र. 02)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
05. पुस्तक क्रय के संबंध में विभागीय क्रय समिति/केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 03)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
06. चिकित्सा, पत्रकारिता, आयुर्वेद एवं अभियांत्रिकी संकाय से संबंधित विश्वविद्यालय की स्थापना के फलस्वरूप इस विषय में दान-दाताओं द्वारा स्थापित स्वर्ण पदक प्रदान करने के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 04)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
07. डिग्री प्रमाण पत्र एवं प्रिंटर मशीन क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 05 से 06 तक)
08. ऑफसेट मशीन क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 07 से 08 तक)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
09. पुराने वाहन विक्रय करने के पश्चात् 02 नग नये वाहन Bolero PLS 9 STR+1 महेन्द्रा पिकअप मालवाहक DGS&D (Ex-Raipur) दर पर क्रय करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना। (पृ.क्र. 09)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
10. विश्वविद्यालय अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं अन्य सभी प्रभारी अधिकारियों को मोबाइल व्यय प्रतिपूर्ति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 10 से 11 तक)
11. भौतिकी अ.शाला द्वारा DSC (Differential Scanning Calorimeter) & TGA (Thermo Gravimetric Analyzer) उपकरण रु. 29,28,926.98 के व्यय पर क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 12)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

12. भौतिकी अ.शाला द्वारा **High Vacuum Coating Unit with chiller** उपकरण रु. 5,67,725.00 के व्यय पर क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 13)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
13. श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी की संविदा नियुक्ति के संबंध में विचार करना।  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 14)
14. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क (RSU-CAN) के वार्षिक रखरखाव (Annual Maintenance Contract) में एक वर्ष की वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 15 से 17 तक)
15. सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2014-15 हेतु परीक्षा केन्द्रों को भुगतान अग्रिम राशि 7,30,000/- (सात लाख तीस हजार रुपए) अनुमोदन कर सूचना ग्रहण करना।  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 18 से 20 तक)
16. भूगोल विभाग के लिए DST-FIST परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत अनुमोदान से 16 नग acer: Computer System, Core i3, Microsoft Windows 8 क्रय करने के संबंध में केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 21)
17. पुराने वाहन 02 नग विक्रय करने तथा 02 नग नये वाहन BOL SLE BS3 and BMT Plus STD BS3 वाहन DGS&D (Ex-Raipur) दर पर क्रय करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 22)
18. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 09.12.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 23 से 26 तक)  
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
19. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.12.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 27 से 34 तक)  
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
20. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

  
कुलसचिव



विषय:- भूगोल विभाग के लिए DST-FIST परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान से Rolta Geomatica Software (10 User) क्रय करने के संबंध में केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

भूगोल विभाग की DST-FIST परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि रूपए 34.00 लाख के अंतर्गत प्रथम किस्त में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर क्रय हेतु रूपए 22.00 लाख प्रथम किस्त प्राप्त हुई है। उपर्युक्त राशि से भूगोल अध्ययनशाला में GIS Laboratory हेतु Rolta Geomatica Software (10 User) क्रय के लिए ~~M/s Rolta India Limited Rolta Tower A, Rolta Technology Park, MIDC, Andheri (E), Mumbai-400093, India~~ के द्वारा प्रस्तावित राशि रूपए 5,89,615.00 (अक्षरी पांच लाख नवासी हजार छः सौ पन्द्रह रूपए मात्र) को Proprietary Item/Quality basis के आधार पर केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुशंसा किया गया है।

कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

(2)

विषय:— विदेशी शोध पत्रिका क्रय के संबंध में विभागीय क्रय समिति/केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर विचार करना।

पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार द्वारा वर्ष 2014-15 में विदेशी शोध पत्रिकाओं की क्रयार्थ अग्रिम चंदा (Subscription) अनुमानित राशि रू. 35.00 लाख प्रदाय करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के दो-दो दैनिक समाचार पत्रों में "छत्तीसगढ़ संवाद" के माध्यम से विज्ञापन प्रसारित किया गया।

निर्धारित तिथि तक 4 फर्मों ने निविदा प्रस्तुत की। निविदा शर्त अनुसार प्रस्तुत तीन निविदाकर्ताओं की टेक्नीकल एवं कॉमर्शियल बिड की तुलनात्मक तालिका परीक्षण उपरांत तैयार की गई।


कॉमर्शियल बिड में अधिकतम छूट प्रदाता निविदाकर्ता फर्म, टोटल लाइब्रेरी सॉल्यूशन, नई दिल्ली ने

1. Foreign Publication पर

- a. Print 7.13% Discount
- b. Online 3.13% Discount
- c. Print and Online (both) 2.13% Discount

प्रदान किया है। उपरोक्त दरों पर टोटल लाइब्रेरी सॉल्यूशन, नई दिल्ली से विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रय के लिए विभागीय क्रय समिति/केन्द्रीय क्रय समिति ने अनुसंशा की है।

अतएव उपरोक्त दरों पर टोटल लाइब्रेरी सॉल्यूशन, नई दिल्ली से विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रय के लिए विभागीय क्रय समिति/केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गयी अनुशंसा का अनुमोदन विचारार्थ प्रस्तुत।

  
वि.वि. ग्रंथपाल

(3)

विषय:- पुस्तक क्रय के संबंध में विभागीय क्रय समिति/केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर विचार करना।

पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार द्वारा एग्रीमेंट तिथि से एक वर्ष तक पुस्तकों के क्रयार्थ, अनुमानित राशि रू. 37.00 लाख के उपयोग हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के दो-दो दैनिक समाचार पत्रों में "छत्तीसगढ़ संवाद" के माध्यम से विज्ञापन प्रसारित किया गया।


निर्धारित तिथि तक 4 फर्मों ने निविदा प्रस्तुत की। जिसमें से निविदा शर्त अनुसार प्रस्तुत तीन निविदाकर्ताओं की टेक्नीकल एवं कॉमर्शियल बिड की तुलनात्मक तालिका परीक्षण उपरांत तैयार की गई।

कॉमर्शियल बिड में अधिकतम छूट प्रदाता निविदाकर्ता फर्म, अरविन्द प्रकाशन, उदयपुर ने

1. Indian Publication a. Print 31.06% Discount  
b. CD/DVD 20.00% Discount
2. Foreign Publication a. Print 37.06% Discount  
b. CD/DVD 20.00% Discount

प्रदान किया है। उपरोक्त दरों पर अरविन्द प्रकाशन उदयपुर से पुस्तकों के क्रय के लिए विभागीय क्रय समिति/केन्द्रीय क्रय समिति ने अनुशंसा की है।

अतएव उपरोक्त दरों पर अरविन्द प्रकाशन उदयपुर से पुस्तकों के क्रय के लिए विभागीय क्रय समिति/केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गयी अनुशंसा का अनुमोदन विचारार्थ प्रस्तुत।

  
6/12/14  
वि.वि. ग्रंथपाल

(4)

विषय:— चिकित्सा, पत्रकारिता, आयुर्वेद एवं अभियांत्रिकी संकाय से संबंधित विश्वविद्यालय की स्थापना के फलस्वरूप इस विषय में दान-दाताओं द्वारा स्थापित स्वर्ण पदक प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ-साथ चिकित्सा, पत्रकारिता, आयुर्वेद, एवं अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में दान-दाताओं के नाम से स्थापित संबंधित छात्र-छात्राओं के लिए प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने के फलस्वरूप स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। इस विश्वविद्यालय से अलग होकर चिकित्सा से संबंधित आयुष विश्वविद्यालय, अभियांत्रिकी से संबंधित तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पत्रकारिता से संबंधित पत्रकारिता विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। दान-दाताओं द्वारा स्थापित उक्त स्वर्ण पदक संबंधित पाठ्यक्रमों से है। चूंकि अब इस विषयों में अध्यापन इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में नहीं कराया जा रहा है। इसलिए उक्त स्वर्ण पदक विगत दो-तीन वर्षों से दिया जाना संभव नहीं हो रहा है। दान-दाताओं के द्वारा स्थापित स्वर्ण पदक से संबंधित विनियम के अनुसार प्रदान करने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष निर्देशाथ प्रस्तुत।

कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।



5

विषय :- डिग्री प्रमाण पत्र एवं प्रिंटर मशीन कय करने के संबंध में विभागीय कय समिति एवं केन्द्रीय कय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदनार्थ विचार करना ।

Tyvek (टाईवेक) पेपर (प्रिंटेड एवं प्री प्रिंटेड) तथा प्रिंटर मशीन कय हेतु निविदा सूचना क्रमांक 851/विकास/डिग्रीकय/निसू/14 दिनांक 05.09.14 एवं निविदा सूचना क्रमांक 876/विकास/डिग्रीकय/निसू/14 दिनांक 10.10.14 छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से निम्नलिखित समाचार पत्रों में निविदा सूचना प्रकाशित किया गया था :-

01. नवभारत समाचार पत्र (प्रादेशिक संस्करण में)
02. दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र, (प्रादेशिक संस्करण में,)
03. दैनिक भास्कर समाचार पत्र, (प्रादेशिक संस्करण में,)
04. नई दुनिया समाचार पत्र, (प्रादेशिक संस्करण में,)
05. द इंडियन एक्सप्रेस (नागपुर संस्करण में)

निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित फर्मों से सीलबंद लिफाफा प्राप्त हुआ :-

01. परजन्या पेपर प्रोडक्ट गुन्डूर, आन्ध्रप्रदेश,
02. मडल्ला इंडस्ट्रीज ऑटो नगर, गुन्डूर, आन्ध्रप्रदेश,
03. आफसेट प्रिंटिंग हाउस, चाणक्यपुरी कालोनी, सतना, म0प्र0

उपरोक्त प्राप्त सीलबंद लिफाफों को विभागीय कय समिति के समक्ष खोला गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0	विवरण	परजन्या पेपर प्रोडक्ट गुन्डूर, आन्ध्रप्रदेश, (रु0 दर प्र.नग)	मडल्ला इंडस्ट्रीज, गुन्डूर, आ0प्र0 (रु0 दर प्र.नग)	आफसेट प्रिंटिंग हाउस, सतना म0प्र0 (रु0 दर प्र.नग)
01.	<u>A4 Size Tyvek Paper Watermark 105 GSM :-</u> A. - With Variable Data B. - With - Out Variable Data [Format Only]	26.00 21.75	----- -----	----- 22.00
02.	<u>A4 Size Tyvek Paper Watermark 110 GSM :-</u> A. - With Variable Data B. - With - Out Variable Data [Format Only]	----- -----	29.00 23.75	----- 24.50
03.	<u>A4 Size Tyvek Paper With-Out Watermark 105 GSM :-</u> A. - With Variable Data B. - With - Out Variable Data [Format Only]	28.50 23.25	----- -----	----- 21.00
04.	<u>A4 Size Tyvek Paper With-Out Watermark 110 GSM :-</u> A. - With Variable Data B. - With - Out Variable Data [Format Only]	----- -----	28.50 23.25	----- 23.50
05.	<u>A4 Size Handmade Watermark Degree Paper :-</u> A. - Preprinted Degree with-out Variable Data & Barcode [Format Only] B. - Print of University Name, Mono & Watermark Mono Only	----- -----	----- -----	25.00 22.09
06.	Degree Envelope 170 GSM Multicolor Printing, Art Paper	-----	-----	81.50
07.	EPSON Business Inkjet Printer- Model B- 510DN (Per Item)	28,000.00	29,000.00	-----
08.	Laser Printer which is able to make printing on Tyvek Paper (Per Item)	1,78,000.00	1,80,000.00	-----

6

// 2 //

विभागीय कय समिति की बैठक दि० 30.10.14 एवं 04.12.14 तथा केन्द्रीय कय समिति की बैठक दि० 05.12.14 में डिग्री पेपर एवं प्रिंटर मशीन के न्यूनतम दर के आधार पर मेसर्स प्रजन्या पेपर प्रोडक्ट्स, गुन्टूर, आन्ध्रप्रदेश से कय करने हेतु अनुशंसा की है ।

चूंकि उपरोक्त सामग्री कय करने पर रू० 05.00 लाख से अधिक होने की संभावना है । अतः स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

*sey*

4

विषय :- ऑफसेट मशीन कय करने के संबंध में विभागीय कय समिति एवं केन्द्रीय कय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदनार्थ विचार करना ।

ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन एक्सपोजर मशीन कय हेतु प्रथम निविदा सूचना क्रमांक 859/विकास/निसू/14 दिनांक 17.09.14 छ0ग0 संवाद के माध्यम से प्रकाशित कराया गया । निर्धारित तिथि तक एक भी निविदा प्राप्त न होने के कारण द्वितीय निविदा सूचना क्रमांक 881/विकास/निसू/14 दिनांक 16.10.14 छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से निम्नलिखित समाचार पत्रों में निविदा सूचना प्रकाशित किया गया था :-

01. नवभारत समाचार पत्र (प्रादेशिक संस्करण में)
02. दैनिक भास्कर समाचार पत्र, (प्रादेशिक संस्करण में)
03. द इंडियन एक्सप्रेस (नागपुर संस्करण में)

निर्धारित तिथि तक केवल दो फर्मों से सीलबंद निविदा प्राप्त हुआ, जिसका विवरण निम्न है :-

01. जे0 पी0 एस0 ऑफसेट प्रा0लि0, फरीदाबाद, हरियाणा,
02. प्रिंट इंडिया ऑफसेट मशीनरी कंपनी, मलेरना रोड, बी0एल0बी0

चूंकि द्वितीय बार निविदा जारी होने के कारण प्राप्त 02 सीलबंद निविदा को खोले जाने हेतु निविदाकर्ता की उपस्थिति में दिनांक 22.11.2014 को निविदा खोला गया। संबंधित फर्मों द्वारा प्रस्तुत दर की तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है-

संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत दर तुलनात्मक तालिका

S.N.	Particulars	J.P.S. Offset Pvt. Ltd. Faridabaad दर	Print India Offset Machinery Company Malerna Road, B.L.B दर
01.	<b>Single Color Sheetfed Offset Printing Machine :-</b>		
	Size -- 15" x 20"	Rs. 3,87,312/-	Rs. 3,41,349/-
	Size -- 18" x 25"	Rs 6,62,187/-	Rs. 53,356/-
	Size -- 18" x 28"	Rs 5,72,812/-	Rs. 5,62,269/-
	Size -- 20" x 30"	Rs. 6,73,437/-	Rs. 6,19,546/-
	Size -- 22" x 32"	Rs 8,38,125/-	Rs. 8,43,529/-
	Size -- 23" x 36"	Rs. 10,02,500/-	Rs. 10,13,298/-
02	Exposure Machine Size "20x30"	Rs. 67,624/-	Rs. 52,764/-

टीप:- विश्वविद्यालय प्रेस से प्राप्त नोटशीट के अनुसार ऑफसेट मशीन का साईज 18" x 28" कय किया जाना है साथ ही लगने वाले अन्य मशीन जैसे Exposure Machine , प्लेट मेकींग मशीन , Computer And Printer. से कय कर कर आबंटित किया जाना है।

21/11/14

कमशः 2....

(5)

// 2 //

उपरोक्त तुलनात्मक तालिका के अनुसार ऑफसेट मशीन साईज 18" x 28" एवं Exposure Machine कय हेतु **Print India Offset Machinery Company Malerna Road, B.L.B** द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम है। अतः न्यूनतम दर के आधार पर ऑफसेट मशीन साईज 18" x 28" एवं Exposure Machine कय करने हेतु विभागीय कय समिति एवं केन्द्रीय कय समिति द्वारा अनुशंसा की गई है। उपरोक्त सामग्री कय करने पर टैक्स सहित रू0 6,15,033/- अक्षरीय (छठः लाख पंद्रह हजार तैंतीस रूपये मात्र) का व्यय होगा।

चूंकि उपरोक्त सामग्री कय करने पर रू0 रू0 6,15,033/- व्यय होगा। अतः प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

J. K.

विषय : पुराने वाहन विक्रय करने के पश्चात् 02 नग नये वाहन Bolero PLS 9 STR +1 एवं महेन्द्रा पिकअप मालवाहक DGS&D (Ex-Raipur) दर पर कय करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु।

विश्वविद्यालय में उपलब्ध पुराने वाहन CG 04E 0924 को निविदा के माध्यम से रू0 1,64,100/- एवं पुराने 03 नग जर्जर वाहन को रू0 86,000/- में निविदा के माध्यम से विक्रय किया गया है। इसप्रकार विश्वविद्यालय में उपलब्ध पुराने वाहन को कुल रू0 2,50,100/- अक्षरीय (दो लाख पचास हजार एक सौ रूपये मात्र) में विक्रय कर राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा किया गया है।

पुराने वाहन विक्रय करने के पश्चात् वाहनों की कमी को देखते हुए 02 नग वाहन कय किया जाना है। मेंसर्स महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लिमिटेड मुंबई, जिसका स्थानीय कार्यालय आटोमोटिव सेक्टर, चावला टावर, ग्राउण्ड पलोर, बॉटल हाउस के बाजू शंकर नगर, रायपुर ने 02 वाहन आपूर्ति हेतु DGS&D दर प्रस्तुत किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०	विवरण	मॉडल नम्बर	दर प्रति नग टैक्स सहित रू0
1	BOL PIK UP FB BS3 REFRESH	BM4210SCNXFTC3RE	Rs. 5,20,977=00
2	BOL PLS 9 STR NONAC MDITC-NGT 520 BS3.	BM727F3L9SFU3WD	Rs. 5,84,853=00
कुल			Rs. 11,05,830=00
अक्षरीय (ग्यारह लाख पाँच हजार आठ सौ तीस रूपये मात्र)			

उपरोक्त वाहन कय करने पर रूपए Rs. 11,05,830=00 व्यय होगा। चूँकि पुराने वाहन विक्रय करने के पश्चात् विश्वविद्यालय को पूर्व में ही रू0 2,50,100/- प्राप्त हो चुका है। अतः नये वाहन कय करने पर विश्वविद्यालय को रू0 Rs. 8,55,730=00 का व्यय भार वहन करना होगा

अतः 02 नग नये वाहन कय करने के लिए Rs. 11,05,830=00 अक्षरीय (ग्यारह लाख पाँच हजार आठ सौ तीस रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

Signature  
10-12-14

## // कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु संक्षेपिका //

विषय :- वि.वि. अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं अन्य सभी प्रभारी अधिकारियों को मोबाईल व्यय प्रतिपूर्ति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.10.2005 में लिए गए निर्णय के अनुसार- विभागाध्यक्ष, वार्डन, सहायक वार्डन, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, संचालक महाविद्यालय विकास परिषद, प्रॉक्टर, विश्वविद्यालय यंत्री, जनसंपर्क अधिकारी, विभाग प्रमुख परीक्षा/गोपनीय, वित्त अधिकारी, विभाग प्रमुख अकादमी/प्रशासन, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कुलपति के सचिव, कुलसचिव के निज सहायक, प्रभारी गेस्ट हाऊस, प्रभारी अनुदान प्रकोष्ठ, वाहन प्रभारी, प्रभारी विधक, प्रभारी कंप्यूटर सेंटर, एवं अन्य अधिकारियों को एक माह में कार्यालयीन दूरभाष पर रूपए 1500.00 एवं निवास के लिए दूरभाष पर रूपए 750.00 प्रतिमाह प्रदान किया जाना निर्धारित किया गया था।

दूरभाष/मोबाईल व्यय प्रतिपूर्ति सुविधा की समीक्षा हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 05.12.2014 को संपन्न हुई, जिसमें समिति द्वारा निम्नांकित अनुशंसा की गई है :-

1. विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों को दूरभाष/मोबाईल की प्रतिपूर्ति व्यय की सुविधा जो पूर्व में 750/- देय थी, उसे वर्तमान में घटाकर 400/- प्रतिमाह किये जाने की अनुशंसा की जाती है। चूंकि विभिन्न सभी सेवा प्रदाताओं के द्वारा अपनी काल की दरो को कम किया गया है।

2. समिति ने पूर्व की पात्रता सूची का अवलोकन करने के पश्चात् यह अनुशंसा करती है कि वर्तमान में IQAC डायरेक्टर/समन्वयक, सभी उपकुलसचिव एवं विश्वविद्यालय यंत्री को मोबाईल प्रतिपूर्ति की सुविधा उनके कार्य के महत्व को देखते हुए अनुशंसा करती है। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों को अतिआवश्यक समझे तो उन्हें मोबाईल प्रतिपूर्ति की सुविधा, उनके कार्य की महत्ता को देखते हुए उपलब्ध करा सकता है।

कार्यालयीन कार्यों को निर्धारित अवधि में सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करने हेतु विभागाध्यक्षों/अधिकारियों एवं प्रशासन द्वारा वे अधिकारी जिसको इस सुविधा के लिए अतिआवश्यक समझते हैं, उन्हें दूरभाष सुविधा प्रदान किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। वर्तमान में सभी अधिकारियों/विभागाध्यक्षों एवं अन्य ऐसे अधिकारी या प्रभारी जिन्हें अतिआवश्यक कार्य सौंपे गए हैं, सभी के पास मोबाईल उपलब्ध है। जिन विभागों में दूरभाष उपलब्ध है, ऐसे विभागों को अधिकतम रूपए 1000.00 दूरभाष पर व्यय प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

इसी प्रकार विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों/अधिकारियों एवं अन्य प्रभारी का विश्वविद्यालय उच्चाधिकारियों के साथ-साथ अन्य अधिकारियों के साथ छात्र-छात्राओं तथा विश्वविद्यालय के कार्य से फोन करने वालों से सतत संपर्क आवश्यक है। अतः इन अधिकारियों को विश्वविद्यालय कार्यालय के साथ-साथ सतत संपर्क बनाये रखने हेतु वे जहाँ भी रहें उनसे दूरभाष से संपर्क किया जा सके इस लिए उन्हें मोबाईल सुविधा प्रदान किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः सभी विभागों के विभागीय अधिकारियों/अध्ययनशाला के विभागाध्यक्षों/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/वार्डन/सहायक वार्डन/प्रॉक्टर/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/संचालक महाविद्यालय विकास परिषद्/विश्वविद्यालय यंत्री/ IQAC डायरेक्टर/समन्वयक/जनसंपर्क अधिकारी/कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक/प्रभारी, अनुदान प्रकोष्ठ/वाहन प्रभारी/प्रभारी विधिक/प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर/प्रभारी गेस्ट हाऊस के साथ-साथ अन्य प्रभारी अधिकारियों जिन्हें प्रशासन इस सुविधा के लिए अतिआवश्यक महसूस करता है, उन्हें सतत संपर्क बनाये रखने हेतु मोबाईल सुविधा के लिए अधिकतम रूपए 400.00 प्रतिपूर्ति की राशि प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार सहायक वार्डन को भी रूपए 300.00 अधिकतम सीमा तक मोबाईल प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

कुलपति/कुलाधिसचिव/कुलसचिव कार्यालय एवं निवास हेतु दूरभाष की सुविधा एवं मोबाईल सुविधा के लिए अधिकतम सीमा में छूट रहेगी। इसी प्रकार गोपनीय विभाग एवं अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के कार्यालय में स्थापित दूरभाष पर अधिकतम सीमा में छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

कुलपति के निज सहायक/सुरक्षा गार्ड को भी विशेष परिस्थिति में मोबाईल सुविधा अधिकतम सीमा में प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

### **माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

## कार्यालयीन टीप

विषय :- भौतिकी अ0शाला द्वारा DSC (Differential Scanning Calorimeter) & TGA (Thermo Gravimetric Analyzer) उपकरण रु. 29,28,926.98 के व्यय पर क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

भौतिकी अ0शाला द्वारा DST FIST Programme के तहत स्वीकृत मद की राशि से DSC (Differential Scanning Calorimeter) & TGA (Thermo Gravimetric Analyzer) क्रय करने के लिये निविदा राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराई गई। प्राप्त निविदा को विभागीय क्रय समिति की बैठक 4.12.2014 को खोली गई। जिसमें से मे. मेटलर टोलेडो इण्डिया प्रा.लि., कलकत्ता का भावपत्र निविदा में दी गई Specification को 100% पूरा करने एवं निर्माता कम्पनी के आधार पर स्वीकार की गई है। जिसके अनुसार कुल रु. 29,28,926.98 (उनतीस लाख अट्ठाइस हजार नौ सौ छब्बीस रुपए अठ्यानबे पैसे) + Custom duty (अलग से) क्रय करने की अनुशंसा की है। जिसे केन्द्रीय क्रय समिति ने अपनी बैठक दिनांक 11.12.2014 को अनुशंसा की है।

अतः प्रकरण कार्य परिपद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



## कार्यालयीन टीप

विषय :- भौतिकी अ0शाला द्वारा High Vacuum Coating Unit with chiller उपकरण रु. 5,67,725.00 के व्यय पर क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

भौतिकी अ0शाला द्वारा DST FIST Programme के तहत स्वीकृत मद की राशि से High Vacuum Coating Unit with chiller क्रय करने के लिये निविदा राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराई गई। प्राप्त निविदा को विभागीय क्रय समिति की बैठक 4.12.2014 को खोली गई। जिसमें से मे. मनसा वेक्यूम इक्विपमेंट प्रा. लि. बेंगलूर का भावपत्र निर्माता कम्पनी के आधार पर स्वीकार की गई है। जिसे कुल रु. 5,67,725.00 (पाँच लाख सड़सठ हजार सात सौ पच्चीस रुपए मात्र) के व्यय पर क्रय करने की अनुशंसा की है। जिसे केन्द्रीय समिति ने अपनी बैठक दिनांक 11.12.2014 को अनुशंसा की है।

अतः प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

**विषय:- श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी की संविदा नियुक्ति में वृद्धि किये जाने के संबंध में विचार करना।**

विश्वविद्यालय की भूमियों का न्यायालय आयुक्त के निर्देशानुसार पुनः सीमांकन कराए जाने, कोटा स्टेडियम से संबंधित दस्तावेज की प्रति कलेक्टर कार्यालय सीलिंग शाखा से दस्तावेज निकालने, कांगेर वेली के पीछे, दीवार बनाने हेतु सीमांकन बताए जाने, धारा 250 के तहत की जा रही कार्यवाही हेतु न्यायालय में उपस्थिति तथा माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे प्रकरणों पर न्यायालयीन कार्यवाही आदि कार्यों को सम्पन्न कराए जाने हेतु श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी को पेंशन माइनस निश्चित वेतन पर दिनांक 25.10.2014 से छः माह के लिए संविदा नियुक्ति में वृद्धि किये जाने के संबंध में कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

15

विषय :- विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क (RSU-CAN) के वार्षिक रखरखाव (Annual Maintenance Contract) में एक वर्ष की वृद्धि करने के लिए टीप ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया ज्ञात हो कि विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क (RSU-CAN) के वार्षिक रखरखाव (AMC) का कार्य M/s Key Computers, Nagpur द्वारा कार्यादेश (संलग्न ध्वज '01') क्र. 1559/RSU-CAN/2014 दिनांक 14/03/2014 के द्वारा किया जा रहा है। वार्षिक रखरखाव (AMC) कार्य की अवधि 01 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक है। (RSU-CAN) के लिए 2014 में वार्षिक रखरखाव (AMC) हेतु निविदा प्रपत्र क्र. 1420/RSU-CAN/2014 रायपुर दिनांक 23/11/2014 को जारी किया गया था। निविदा प्रपत्र के पृष्ठ क्र. '10' के "नियम एवं शर्तों के कण्डिका" क्र. '05' में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि -

**"Initially Maintenance/Network Management Services of RSU-CAN shall be for a period of one year from the date of service starts. If performance of the service provider is found satisfactory, the contract between Pt. Ravishankar Shukla University and service provider may be may further extend for one year and the maximum contract period shall not be more than four years."** (संलग्न ध्वज '1अ')

M/s Key Computers, Nagpur से RSU-CAN का वार्षिक रखरखाव (AMC) कार्य 2014 की निविदा प्रपत्र की पृष्ठ क्र. '10' के "नियम एवं शर्तों" के कण्डिका क्र. '05' के आधार पर पुनः एक वर्ष वार्षिक रखरखाव (AMC) कार्य (01 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक) करवाए जाने की अनुशंसा RSU-CAN Steering Committee के द्वारा की गई, जिसकी बैठक दिनांक 27/11/2014 को कुलपति कक्ष में आयोजित की गई थी (संलग्न ध्वज '1ब')। अतः विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क (RSU-CAN) के वार्षिक रखरखाव (AMC) करवाने के लिए एक वर्ष की कार्यवृद्धि (01 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक) पूर्व दर रु 7,96,680.00/- (सात लाख छयानबे हजार छः सौ अस्सी रुपये मात्र) में किया जाना प्रस्तावित है।

*James*  
09-12-2014  
*Zulka*  
09/12/14



No. 1559 /RSU-CAN/2014

Raipur, Date: 14/03/2014

**Work Order**

To,

M/s Key Computers,  
 420-A, Khare Town, Dharampeth,  
 Nagpur, 440010  
 Ph: 0712-2525638/40, Fax: 0712-2534211

**Sub: Work order of Annual Maintenance Contract for RSU-CAN.**

Ref: (i) Tender No. 1420/C.Sc./2013 on dated 23/11/2013

(ii) Your quotation for AMC of RSU-CAN, KC/AMC/2k13/98 dated 12/12/2013

Sir,

Referring to your proposal mentioned above, we have pleasure to place the work order for the Annual Maintenance contract of Pt. Ravishankar Shukla Campus Area Network (RSU-CAN) for the period of 01/01/2014 to 31/12/2014 subject to following conditions.

S.No	Particulars	Price (INR)
01	Software Maintenance of Computers Campus Area Network (About 500 users), including Network Connectivity Problems, Software Patch Updates, Virus/Spyware related problems etc.	5,86,680 = 00
02	Comprehensive AMC of all Networking equipments connected with Submission of Breakdown maintenance report - weekly	Included in 01
03	Comprehensive Maintenance (Hardware & Software) of Five Servers Submission of Breakdown Maintenance report - weekly	Included in 01
04	Protection from Desktop / Gateway level Virus and spyware and related problems, Monitoring of Internet usage, Submission of Internet usage log report - weekly, prevention of download like movies, songs or unwanted download, blocking of unwanted web site - & submission of weekly report	Included in 01
05	Configuration, Installation of Microsoft Patch Management Server	Included in 01
06	Configuration & Installation of Linux Proxy & Linux Web Mail Server	Included in 01
07	Information Security Audit Report	Included in 01
08	Supply, installation of Anti-virus /Anti-spyware Software (Total 500 Users license) with one year subscription license (As per the other proposal) Including VAT/CST @ 5%	2,10,000 = 00
	<b>Total</b>	<b>7,96,680 = 00</b>
	Service tax @ 12.36 %	All Inclusive
	<b>Rupees Seven Lakh Ninety Six Thousand Six Hundred Eighty only.</b>	<b>7,96,680 = 00</b>

17

**TERMS AND CONDITIONS FOR AMC OF RSU-CAN**

1. Sealed item rate tenders are invited for the proposed Maintenance/ Network Management services of RSU-CAN. Tender should be submitted in two part

- 1. Technical bid
- 2. Commercial bid.

Tender not properly filled, Telegraphic / Fax tender, mutilated with incorrect calculation or generally not complying with the conditions shall be rejected.

2. Tenderers should quote their rates both in figures and words. The schedule of quantities must be fully priced and the total of each along with carried over figures of the previous page shall be given in ink and signed by the tenderer. No. Blank space shall be left. If the discrepancy found in quoted rate in figures and words the rate quoted in words will be considered.

3. Sealed tenders with name of the job and the name of the tenderer written on the envelope will be received by the Registrar, Pt. R.S.U, Raipur (C.G.) through registered/speed post only. The PRSU reserves the right to postpone or/and extend the date of receipt or to withdraw the tender notice without assigning any reason thereof entirely at the discretion of the PRSU. In such an event tenderers shall not be entitled to any compensation in any form whatsoever.

4. If the tender is made by or on behalf of a company incorporated under the companies Act (of 1956), it shall be signed by their Managing Director or one of the directors duly authorized on that behalf, if it is made by partnership firm, it shall be signed with co-partnership name by a member of the firm who shall sign his own name and give the name and address of each partner of the firm attach a copy of power of attorney with the tender authorizing him to sign on behalf of the other partners. A certified copy of the registered partnership deed shall also be submitted along with the tender.

5. Initially Maintenance/Network Management Services of RSU-CAN shall be for a period of one year from the date of service starts. If performance of the service provider is found satisfactory, the contract between Pt. Ravishankar Shukla University and service provider may be may further extended for one year and the maximum contract period shall not be more than four years.

6. Acceptance period of the tender shall remain valid for acceptance for a period of 10 days from the date of opening of tender.

**7. Site Inspection:**

Every tenderer is expected to inspect the site of the proposed Campus Area Net (RSU-CAN) before quoting his rates. Must also go through all the drawings and documents. It will be construed that the contractor has inspected the site at his own cost, and the quoted rates shall hold good in all conditions.

**8. Schedule of quantities**

A Schedule of approximate quantities for various items accompanies this tender. It shall be definitely understood that the employer/consultant do not accept any responsibility for the correctness of the schedule, in respect of items and quantities and this schedule is liable to alternations by omissions, deductions or additions at the discretion of the employer/consultant without affecting the terms of the contract. The University reserves the right to completely delete any item from the scope of the work without affecting the terms of contract.

**9. Contractor's Rates**

The tenderers, rates must include the cost of transportation of material to the site, storage at site all taxes such as sales tax, excise etc. and fixing of placing in position for which the items of jobs are intended to be operated

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*  
 Page 10  
*[Handwritten Signature]*  
 23/11/12

## माननीय कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु टीप

सेमेस्टर परीक्षा (स्नात.) सत्र 2014-15 हेतु कुल 41 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि रू. 7,30,000/- (रू. सात लाख तीस हजार) का भुगतान संलग्न सूची के अनुरूप संबंधित केन्द्रों के नाम के सम्मुख दर्शायेनुसार स्वीकृत किया गया है।

अतः उक्त राशि कार्य परिषद में रखे जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,

ग.)

सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2014-15 के लिए

की सूची  
मिलित अन्य महा. का नाम

केंद्र / महा.कोड	परीक्षा केंद्र का नाम	महा. कोड		
101	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर			
107	शास. डॉ. राधा बाई नवीन कन्या महा. पुरानी बस्ती, रायपुर		20,000	008498
112	दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर		40,000	- 499
115	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर		20,000	008500
119	प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर		20,000	008501
128	कला-वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर		15,000	- 502
164	शासकीय महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा-नेवरा)		10,000	- 503
169	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महा., अमनपुर		10,000	- 504
201	शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार		30,000	- 505
203	शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा		25,000	- 506
205	शासकीय राजीव गाँधी महाविद्यालय, सिमगा		10,000	- 507
209	शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़		15,000	- 508
251	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम		15,000	- 509
255	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महा, गरियाबंद		10,000	- 510
301	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा., महासमुन्द		20,000	- 511
306	शासकीय खे.ल. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा		10,000	- 512
309	शास.स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहमहा., सराईपाली		20,000	- 513
351	शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव महा., धमतरी		15,000	- 514
361	शास. सुखराम नाग महा., सिहावा (नगरी)		15,000	- 515
365	शासकीय महाविद्यालय, कुरुद		25,000	- 516
402	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा., दुर्ग		10,000	- 517
404	सेठ आर.सी.एस. कला-वाणिज्य महा., दुर्ग		10,000	008518

₹ 365,000/-

20

B7F-3,65,000/-

सेंट जॉन्स महाविद्यालय, भिलाईनगर

20,000

008519

23

25000

- 520

461 शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3

24

15000

- 521

463 25 शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई

40000

008523

464 26 शासकीय महाविद्यालय, पाटन

15000

- 524

468 27 शासकीय चन्दूलाल चंद्राकर महाविद्यालय, धमधा

30,000

- 525

501 28 शासकीय पं.ज.ला.ने. कला एवं वाणिज्य महा.,  
बेमेतरा

10,000

- 526

502 29 शास. देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, साजा

30,000

- 527

551 30 शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय,  
बालोद

- 184

15000

- 528

552 31 शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा

15000

- 529

562 32 शासकीय एन.सी.जे. महाविद्यालय, दिल्लीराजहरा

10,000

- 530

564 33 शा. महा. खेरथा, जिला-बालोद

30,000

- 531

601 34 आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. महा.,  
कवर्धा

10,000

- 532

605 35 स्व. श्री डी.पी. चौबे शास. महाविद्यालय, गण्डई

10,000

- 533

657 36 शासकीय कमलादेवी महिला महा., राजनांदगाँव

20,000

- 534

665 37 शासकीय लालचक्रधर शाह महा., अम्बागढ़ चौकी

15,000

- 535

668 38 शासकीय उपाधि महाविद्यालय, डोंगरगाँव

15,000

- 536

669 39 शासकीय पं.ज.ला.ने. महा., डोंगरगढ़

10,000

- 537

670 40 शासकीय महाविद्यालय, घुमका

20,000

- 538

671 41 शासकीय रानी रश्मि देवी सिंह महा., खैरागढ़

10,000

008539

673 42 शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर

41

730,000/-



(2)

विषय:— भूगोल विभाग के लिए **DST-FIST** परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान से 16 नग acer: Computer System, Core i3, Microsoft Windows 8 क्रय करने के संबंध में केंद्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

भूगोल विभाग के लिए **DST-FIST** परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि रु. 34.00 लाख के अंतर्गत प्रथम किस्त में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर क्रय हेतु रु. 22.00 लाख प्राप्त हुई है। उपर्युक्त स्वीकृत राशि से भूगोल अध्ययनशाला में GIS Laboratory हेतु 16 नग acer: Computer System, Core i3, Microsoft Windows 8 क्रय के लिए M/s R.K. Enterprises Near Anand Talkies Raipur (C.G.) के द्वारा प्रस्तावित राशि रूपए 6,46,486.00 रु. ( अक्षरी छै लाख छियालीस हजार चार सौ छियासी रु. मात्र) को DGS&D दर के आधार पर केंद्रीय क्रय समिति द्वारा अनुशंसा किया गया है।

कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।



23

## पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग.

Phone No. 0771-2262587 Website prsu.ac.in, Email- adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक 419 / वि. वि. यंत्री / 2014

रायपुर, दिनांक 09/12/2014

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के भवन निर्माण समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 09.12.2014 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. डॉ. एस0 के0 पाण्डेय, कुलपति                             | - अध्यक्ष           |
| 2. डॉ. एम. डब्ल्यू. वाय. खान                               | - सदस्य             |
| 3. श्री राजेश त्रिपाठी (विभागाध्यक्ष सिविल इंजी0 एनआईटी)   | - सदस्य             |
| 4. श्री सुरेश भूपल, कार्यपालन अभियंता (ई0 & एम0 लो0नि0वि0) | - विशेष आमंत्रित    |
| 5. श्री के0 पी0 तिवारी (वि0 वि0 यंत्री)                    | - सदस्य             |
| 6. श्री बी0 सी0 विश्वास (वित्त नियंत्रक)                   | - सदस्य             |
| 7. श्री उमापति रस्तोगी, उपयंत्री                           | - प्रभारी यांत्रिकी |
| 8. श्री के0 के0 चन्द्राकर, कुलसचिव                         | - सचिव              |

विषय क्रमांक:-1 भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21/10/2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय:- भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21/10/2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक:-2 दिनांक 21/10/2014 को सम्पन्न हुई भवन निर्माण समिति के निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय:- दिनांक 21/10/2014 को सम्पन्न हुई भवन निर्माण समिति के निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक:-3 लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा।

निर्णय:- लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई।

विषय क्रमांक:-4 विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शेड बनाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 15.30 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोकनिर्माण विभाग से कराने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शेड बनाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 15.30 लाख का अनुमोदन किया गया एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने के साथ ही प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

**विषय क्रमांक:-5** विश्वविद्यालय के कला भवन के पीछे सायकिल स्टैण्ड निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 13.81 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोकनिर्माण विभाग से कराने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

**निर्णय:-** विश्वविद्यालय के कला भवन के पीछे सायकिल स्टैण्ड निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 13.81 लाख का अनुमोदन किया गया एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने के साथ ही प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

**विषय क्रमांक:-6** विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पीछे विद्यार्थियों के वाहनों के लिए शेड निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 24.00 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

**निर्णय:-** विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पीछे विद्यार्थियों के वाहनों के लिए शेड निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 24.00 लाख का अनुमोदन किया गया एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने के साथ ही प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

**विषय क्रमांक:-7** विश्वविद्यालय के कला भवन में टाईल्स फ्लोरिंग, छत ग्रेडिंग, पी. व्ही. सी. शीट फिटिंग एवं प्लिथ प्रोटेक्शन, एवं नाली निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 116.46 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

**निर्णय:-** विश्वविद्यालय के कला भवन के प्रकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि कला भवन के लिए पूर्व प्रस्तावित रिनोवेशन कार्य को शामिल करते हुए एक साथ प्राक्कलन राशि बनाकर प्रस्तुत किया जावे।

**विषय क्रमांक:-8** विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन एवं पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार भवन में पैसेंजर लिफ्ट लगाए जाने हेतु लोक निर्माण विभाग, विद्युत/यांत्रिकी संभाग, रायपुर से प्राप्त प्राक्कलन राशि क्रमशः 15,66,838/- एवं 15,85,468/- के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के विद्युत/यांत्रिकी संभाग, रायपुर से कराने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

**निर्णय:-** विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन एवं पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार भवन में पैसेंजर लिफ्ट लगाए जाने हेतु लोक निर्माण विभाग, विद्युत/यांत्रिकी संभाग, रायपुर से प्राप्त प्राक्कलन राशि क्रमशः 15,66,838/- एवं 15,85,468/- के का अनुमोदन किया गया एवं यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के विद्युत/यांत्रिकी संभाग, रायपुर से कराने के साथ ही प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

25

**विषय क्रमांक:-9** विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन यूटीलीटी सेन्टर भवन में ग्राउण्ड फ्लोर एवं फर्स्ट फ्लोर के आधे भाग में बैंक एवं आधे भाग में कॉफी हाउस वाले को देने का निर्णय लिया गया है। उनके अनुसार नव-निर्माण भवन में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी जो निम्नानुसार है:-

1. दोनों बड़े हॉल ऊपर एवं नीचे के बीचों-बीच दीवाल का निर्माण।
2. दोनों हॉल के पीछे साइड में पुरुष एवं महिलाओं हेतु टॉयलेट का निर्माण।
3. ग्राउण्ड फ्लोर में जहाँ कॉफी हाउस के लिए आबंटित किया जाना है एवं वहाँ पर पीछे साइड से फर्स्ट फ्लोर में उनके कर्मचारियों के जाने हेतु अस्थायी सीढ़ी का निर्माण किया जाना।  
इस संबंध में लोक निर्माण विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 21.11.2014 सूचनार्थ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (पत्र संलग्न)

**निर्णय:-** प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

**विषय क्रमांक:-10** विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पीछे बाउण्ड्रीवॉल के अंदर उद्यान विकसित किया जाना है। प्राक्कलन प्रस्तुत करने हेतु सहायक संचालक उद्यान, प्रमुख उद्यान, रायपुर छ. ग. को पत्र दिनांक 27.11.2014 प्रेषित किया गया है इस कार्य पर लगभग राशि रूपए 16,92,000.00 व्यय अनुमानित है। यह कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराया जाना है अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत। (पत्र संलग्न)

**निर्णय:-** प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।


**विषय क्रमांक:-11** अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।


- निर्णय:-**
1. यूटीलीटी सेंटर में लिफ्ट लगाने के संबंध में लोक निर्माण विभाग के विद्युत/यांत्रिकी संभाग, रायपुर से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 15.50 लाख का अनुमोदन किया गया एवं प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।
  2. विश्वविद्यालय के सभी बड़े भवनों में आवश्यकतानुसार विकलांग लोगों के लिए रैंप एवं टॉयलेट के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग से प्रस्ताव सहित प्राक्कलन मंगाकर प्रस्तुत किया जावे।
  3. विश्वविद्यालय के प्रत्येक भवनों में महिला कॉमनरूम एवं टॉयलेट के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग से प्रस्ताव सहित प्राक्कलन मंगाकर प्रस्तुत किया जावे।
  4. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के पुराने भवनों के आवश्यकतानुसार रिनोवेशन (जैसे छत की रिपेरिंग, दीवाल की पुट्टी एवं पोताई, टॉयलेट में पुट्टी एवं पोताई, फ्लोर में टाइल्स लगाने एवं आवश्यकतानुसार छत की ग्रेडिंग) हेतु लोक निर्माण विभाग से प्रस्ताव सहित प्राक्कलन मंगाकर प्रस्तुत किया जावे।

(26)

5. विश्वविद्यालय परिसर स्थित पुराने सड़कों को आवश्यकतानुसार दुरुस्त करने, चौड़ीकरण करने एवं आवश्यकतानुसार बरसात के पानी का सरलता से बहाव हेतु, नालियों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से प्रस्ताव सहित प्राक्कलन मंगाकर प्रस्तुत किया जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न की गई।

  
कुलपति


  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक 420 / वि. वि. यंत्री / 2014

रायपुर, दिनांक 10/12/2014  
11

प्रतिलिपि:-

1. भवन निर्माण समिति के समस्त सदस्यों की ओर इस आशय के साथ अग्रेषित की कार्यवृत्त में कोई सुधार किया जाना है, तो कृपया सूचित करें।
2. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अनुदान प्रकोष्ठ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
11/12/14

प्रभारी अधिकारी  
यांत्रिकी विभाग



(27)

## पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 2171 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2014

रायपुर, दिनांक 11 / 12 / 2014

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 08.12.2014 अपराह्न 2.30

बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	-	सदस्य
4.	डॉ. भगवन्त सिंह	-	सदस्य
5.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	-	सदस्य
6.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
7.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	-	सदस्य
8.	डॉ. एस.सी. नैथानी	-	सदस्य
9.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	-	सदस्य
10.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

### बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 14.10.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, खुर्सीपार	B.Sc.-I- FC (Hindi,Eng.) Env.St., Maths, Physics, Chemistry	60	2014-15	निरीक्षण तिथि :- 21.11.2014 1. Class Room are available in the college 2. Six permanent faculty & 4 are working in contract basis 3. Equipments and books are to be purchased lists are prepared and enclosed. 4. Laborateries are yet to be established. 5. List of students in different subjects is enclosed.	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
		Botany, Zoology Chemistry	60			
		B.Com.-I- All Compul- sory Subject	70			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
		B.A.-I- Env.St., FC (Hindi, Eng.), Political Sc., Hindi Litt., English Litt., Economics	70		<b>निरीक्षण तिथि :- 24.11.2014</b> अधोसंरचना संतोषजनक है। सम्बद्धता हेतु पात्रता है। शर्त - ग्रंथालय हेतु अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, एवं राजनीति शास्त्र विषयों पर प्रत्येक विषय हेतु पच्चीस हजार रुपयों की पुस्तकें क्रय की जावे। शर्तों की पूर्ति की शर्त पर सत्र 2014 से भाग एक में हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं आधार पाठ्यक्रम विषयों पर सम्बद्धता दी जा सकती है।	
2	शासकीय महाविद्यालय, भखारा, जिला-धमतरी	<b>B.A.-II &amp; III- Subject- F.C., Hindi Litt., English Litt., Political Sc. Geography, Economics</b>	<b>80</b> (80+80+ 30=150)	2009-10 एवं 2010-11	<b>निरीक्षण तिथि : 11.11.2014</b> शासकीय महाविद्यालय भखारा में स्वयं का भवन है। बी.ए. I, II, III- बी.एस.सी. I, II, III तथा बी.काम. I, II, III-, एम.ए. अंतिम (हिंदी), एम. काम. अंतिम की कक्षायें संचालित है। एक सहायक प्राध्यापक गणित, हिन्दी तथा भूगोल में नियमित है। शेष 11 सहायक प्राध्यापक (संविदा) तथा अतिथि में कार्यरत है। आधारभूत संरचना पर्याप्त है। प्रयोगशाला भी पर्याप्त है। तदनुसार सीट वृद्धि किया जा सकता है। पुस्तकालय में कुल 12939 की संख्या पुस्तकों की है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
		<b>B.Com.-II &amp; III - All Compulsory Sub</b>	<b>60</b> (60+10= 70)			
		<b>B.Sc.-II &amp; III F.C., Chemistry, Botany, Zoology,</b>	<b>60</b> (60+60+ 25=145)			
		Maths	<b>40</b> (40+10= 50)			
		M.Com. Final	<b>30</b>	2014-15		
		M.A. Final Hindi	<b>30</b>	2014-15		
		M.A. Prev. Economics	<b>30</b>	2014-15	<b>निरीक्षण तिथि :- 06.12.2014</b> 1. College has its own building and Class rooms. 2. Other infrastructural facilities exist. 3. The college has no permanent faculty in the subject. Teaching work is looked after by guest faculty.	

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
3	इंदिरा गांधी शास. कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, भिलाई	M.A. Prev. (1 <sup>st</sup> & II <sup>nd</sup> Semester) Economics English  M.Sc. Prev. (1 <sup>st</sup> & II <sup>nd</sup> Semester) Chemistry	30 30 15	2014-15	<b>निरीक्षण तिथि :- 02.12.2014</b> महाविद्यालय में आधारभूत संरचना है। स्वयं का भवन है। अर्थशास्त्र में एम.ए. पूर्व में 30 सीट स्वीकृत है। एक सहायक नियमित है। एक जनभागीदारी से कार्यरत है। एक आचार्य का पद रिक्त है। जिसे भरा जाना चाहिये। पुस्तकालय में पुस्तकें अपर्याप्त हैं। आदेश क्रय करने के दिये गये हैं। <b>Terms for M.A. I sem Prev.-English</b> 1. Books on English literature relevant to MA. I Sem (Prev.) English Literature worth at least Rs. fifty thousand must be purchased. 2. One vacant post of Professor English must be filled by regular Professor. <b>M.Sc. Chemistry (Prev.)</b>	[1] <b>M.A. Prev.</b> (1 <sup>st</sup> & II <sup>nd</sup> Semester) <u>Economics, English</u> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।  [2] <b>M.Sc. Prev.</b> (1 <sup>st</sup> & II <sup>nd</sup> Semester) Chemistry महाविद्यालय को एम. एस.सी. रसायन में प्रायोगिक कार्य सम्पन्न कराने के लिए प्रयास एवं व्यवस्था संबंधी जानकारी के लिए पत्र भेजी जावे। महाविद्यालय से प्राप्त पत्र कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जावे।
					संबंधित विषय में प्रमुख एवं अतिआवश्यक क्षेत्रों की स्थिति निम्नानुसार है : 1. प्रयोगशाला नहीं है। संबंधित कोर्स के प्रायोगिक कार्य हेतु उपकरण नहीं है। 2. संबंधित कोर्स हेतु पुस्तकालय में पुस्तक व्यवस्था नहीं है। 3. शिक्षकों की आवश्यक व्यवस्था केवल एक पूर्णकालिक सहा. प्राध्यापक है, जो अपूर्ण है। अतः M.Sc. पूर्व रसायन प्रारंभ करने के लिये संबंधित महाविद्यालय अपात्र है।	
4	शास. नारायण राव मेघावले कन्या महाविद्यालय, श्री नत्थूजी जगताप नगर पालिका पूर्व माध्य. शाला परिसर, धमतरी	B.A.-III - History - (Additional Subject) B.Com.-III	60 50	2014-15	<b>निरीक्षण तिथि :- 29.11.2014</b> वि.वि. आदेश क्र. 1025/अका. /2014 दिनांक 19.08.2014 के संदर्भ में आज दिनांक 29.11.2014 को निरीक्षण किया एवं देखा। 1. उक्त महाविद्यालय नगर पालिका स्कूल धमतरी में संचालित है, जिसमें कुल 08 कमरे उपलब्ध हैं तथा दो पालियों में संचालित है। 2. पाठ्यक्रम बी.काम. III 50 सीट, बी.ए. III इतिहास 60 सीट जन- भागीदारी समिति	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।



क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					<p>द्वारा संचालित है। प्राचार्य ने बताया कि शासन स्तर पर चलाये जाने हेतु उक्त पाठ्यक्रमों की माँग की गई है।</p> <p>3. बी.काम. III एवं History में पुस्तकों की संख्या छात्र अनुपात में कम है लेकिन वर्तमान छात्र संख्या के अनुसार उपयुक्त है।</p> <p>4. बी.काम. में 03 एवं History में 01 शिक्षक जनभागीदारी समिति द्वारा रखे गया है।</p>	
5	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महावि. धरसीवां	M.A. Prev. - Political Sc.	30	2014-15	<p><u>निरीक्षण तिथि :- 29.11.2014</u></p> <p>अधोसंरचना संतोषजनक है। सम्बद्धता हेतु पात्रता है।</p> <p>शर्तें :-</p> <p>1. राजनीति शास्त्र विषय में एक सहायक प्राध्यापक नियुक्ति करने।</p> <p>2. राजनीति शास्त्र (एम.ए. पाठ्यक्रम) विषय में कम से कम 25 हजार रुपयों की पुस्तकें क्रय करने उपरोक्त शर्तों की पूर्ति की शर्त पर सत्र 2014-15 से एम.ए. पूर्व राजनीति शास्त्र सीट संख्या 30 प्रारंभ करने, सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
6	चंद्रपाल डडसेना शासकीय महावि. पिथौरा	B.Com.-II	50	2011-12	<p><u>निरीक्षण तिथि :- 04.12.2014</u></p> <p>1. College has its own Building, Class Rooms &amp; other infrastructural facilities.</p> <p>2. There is only One Permanent teacher for 50 seats but there is contractual arrangement for taking classes.</p> <p>3. Books are there but more books of Rs. 10,000 can be added.</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
		B.Com.-III	50	2012-13		

31

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
7	पं. देवीप्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय, गंडई, जिला-राजनां दगांव	B.Sc.-III- FC, Maths, Chemistry, Physics	50	2014-15	<p><b>निरीक्षण तिथि :- 04.12.2014</b></p> <p>आज दिनांक 04.12.2014 पं. देवीप्रसाद चौबे शास. महाविद्यालय, गंडई का निरीक्षण B.Sc.-III- FC, Maths, Chemistry, Physics की संबद्धता के लिए किया गया। प्राचार्य तथा शिक्षकों से चर्चा किया गया। अधोसंरचना (Class Romm) तथा प्रयोगशाला पर्याप्त है। वर्तमान में भौतिकी, रसायन, एवं गणित विषय के लिए एक-एक अतिथि प्राध्यापक है, कुल 4 छात्र पंजीकृत हैं। अन्तिम वर्ष के लिए रसायन तथा भौतिकी प्रयोगों के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं है। ग्रंथालय में पाठ्यक्रम के वर्णित पुस्तकों का क्रय किया जाना चाहिए।</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
8	डॉ. खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई-3	B.Com.-III (Computer Application) M.A. Prev. English	30 30	2014-15	<p><b>निरीक्षण तिथि :- 04.12.2014</b></p> <p>After inspecting the deptt. of English I feel that the infrastructure is quite good, though there is lot of scope for improvment. Regarding library the no. of books currently available is 376 that meets the present requirement of the students, although more books need to be added for further enrichment of students and students' access to at present is sufficient to run the programme. MA English semester I, Semester II, is recommended for affiliation. अधोसंरचना पर्याप्त है। जनभागीदारी में 2 कम्प्यूटर शिक्षक है। नियुक्ति शिक्षकों की आवश्यकता है। लाइसेन्स्ड सॉफ्टवेयर है। कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 13 कम्प्यूटर है। 30 कम्प्यूटरों की आवश्यकता है। पुस्तकालय में 194 कम्प्यूटर की पुस्तकें है। पाठ्यक्रम के अनुसार स्तरीय कम्प्यूटर पुस्तकों की आवश्यकता है।</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
9	दिशा कालेज, रामनगर, कोटा, रायपुर	<b>Seat Increase</b> B.Com. Compulsory Subject पूर्व सीट सं.-120	शासन द्वारा स्वीकृत 60	2014-15	<b>निरीक्षण तिथि :- 09.09.2014</b> The College has 1. Well furnished class Rooms, They are adequate in Number. 2. Adequate number of computers with required softwares. 3. Sufficient Number of books. However, A. 60 seats in B.Com can be increased subject to Appointment minimum 3 more faculty under section 28 in commerce. In case B.Com Computer Application 60 seats can be increased subject to appointment of 2 computer Science teachers. B. In BBA only 40 seats Not 60 can be increased subject to appointment of 4 more faculties under 28. C. In BCA, due to poor admission, the college is reluctant to increase the seats this year.	1. बी.काम. के लिए पूर्व निर्धारित सीट 120 में वृद्धि करते हुए अनिवार्य के साथ अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर एप्लीकेशन सहित 180 सीट किया जाना अनुशंसित है। 2. बी.बी.ए. में अतिरिक्त 60 सीट वृद्धि के स्थान पर 40 सीट की वृद्धि की जाती है। 3. निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिका 'C' में बी.सी.ए. में कम छात्रों की प्रवेश के कारण 30 अतिरिक्त सीट वृद्धि को अमान्य किया जाता है।
		<b>Seat Increase</b> B.Com. Computer Application पूर्व सीट सं.-100	60			
		<b>Seat Increase</b> BBA पूर्व सीट सं.-80	60			
		<b>Seat Increase</b> BCA पूर्व सीट सं.-60	30			
10	नवीन शासकीय महाविद्यालय, पिपरिया, जि. -कबीरघाम (छ.ग.)	<b>B.A. -II -</b> Hindi, English (F.C.), Economics, Political Sc., Sociology	60	2014-15	<b>निरीक्षण तिथि :- 05.12.2014</b> बी.एस.सी. Part-II, बी.ए. Part-II, तथा बी.काम Part-II, हेतु आधारभूत संरचना में स्कूल भवन में कालेज संचालित है। दो नियमित - हिन्दी तथा केमिस्ट्री में है। शेष संविदा पर है। स्कूल के प्रयोगशालायें प्रायोगिक शिक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ है। कुल छात्र लगभग 300 है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
		<b>B.Sc. -II -</b> (F.C., Chemistry, Physics, Maths)	60			
		<b>B.Com.-II</b> (Compulsory Subject)	60			
11	शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	Diploma in Hospitality Management	50	2014-15	<b>निरीक्षण तिथि :- 01.12.2014</b> This committee visited the Government DB Girls College on 1 <sup>st</sup> December 2014 at 1:30 PM and observed the following: 1. The College has applied to the State Govt. for the approval of the program, "Diploma in Hospitality Management." However, the decision is still pending.	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

33

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					<p>2. The UGC has approved the program and has already released INR 49.3 lac for the intake of 50 students under the Community College Scheme [letter enclosed].</p> <p>3. The Principal informed the committee that the Program will run under the Home Science Department and one room and space for one lab have been allotted for the program.</p> <p>4. The regular faculty of the Home Science Department and other Visiting faculty from the hospitality sectors will be involved in the teaching and lab courses.</p> <p>5. At present, the available books are not adequate; therefore, it is recommended that more books and journals should be purchased for all the papers.</p> <p>6. Infrastructure and other civic amenities are adequate.</p>	

03. डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर में एम.ए. गृह विज्ञान पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.08.2012 में प्रस्तुत निरीक्षण समिति द्वारा प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर एम.ए. पूर्व गृह विज्ञान (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2013-14 से दिये जाने की अनुशंसा की गई।

04. सत्र 2014-15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम
1	शासकीय नवीन महाविद्यालय गुरुर, जिला-बालोद (छ.ग.)
2	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बोड़ला, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
3	शास. कुंज बिहारी चौबे महा., लालबहादुर नगर जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
4	सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाई (छ.ग.)
5	श्री राम कालेज, ग्राम व पोस्ट-सारागांव, जिला- रायपुर (छ.ग.)
6	भिलाई नायर समाजम महाविद्यालय, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
7	नवीन शास. कालेज खेरथा, जिला-दुर्ग
8	रुंगटा कॉलेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी दुर्ग (छ.ग.)
9	सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
10	इंडियन कालेज आफ एजुकेशन, स्टेशन रोड, महासमुंद (छ.ग.)

34

11	विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
12	शास. वीर सुरेन्द्र साय कॉलेज, गरियाबंद जिला-गरियाबंद
13	नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर, जिला-गरियाबंद
14	शास. महाविद्यालय, भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
15	पं. देवी प्रसाद चौबे, शास. महा. साजा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
16	रूंगटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भिलाई, कोहका रोड, कुरुद, भिलाई, जिला-रायपुर (2013-14 एवं 2014-15)
17	कला एवं वाणिज्य कन्या महावि., देवेन्द्र नगर, रायपुर
18	श्री बिरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, प्लॉट नं.-724/1, स्ट्रीट नं.-1, ग्राम+पोस्ट-जामगाँव, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
19	रामानुज कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
20	स्व. देवी प्रसाद जी चौबे शासकीय महाविद्यालय, गण्डई, जिला-राजनांदगांव
21	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, राजनांदगांव
22	कोलम्बिया कालेज प्लॉट नं.-97, ग्राम-टेकारी, पो.आ.-माढर, जिला-रायपुर

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2014-15 के लिये वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

**अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण**


1. विभिन्न अध्ययनशालाओं से प्राप्त स्टैण्डर्ड जर्नल की सूची के संबंध में विचार करना।

निर्णय : सभी संकायाध्यक्षों की बैठक दिनांक 11.12.2014 को आयोजित कर प्रत्येक विषयों के लिए स्टैण्डर्ड जर्नल्स की सूची तैयार कराकर कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जावे।

2. त्रिवर्षीय विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्र बंधन समाप्त करने के संबंध में।

निर्णय : बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के निर्णय एवं छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पृ. क्रमांक 3253/2282/2014/38-2 दिनांक 23.08.2014 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय ने संचालित त्रिवर्षीय विधि पाठ्यक्रम में उम्र बंधन समाप्त करने हेतु जारी की गई अधिसूचना (क्रमांक 1088/अका./2014 रायपुर, दिनांक 26.08.2014) की सूचना ग्रहण की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्र. 2172/अका./वि.प.स्थायी समिति/2014  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 11/12/2014

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)



कार्यालय प्राचार्य, इं.गां.शासकीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय  
वैशालीनगर भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Phon.No.0788-2280806, Mob.No. 9425236497 Email.Id.-govt.collegevaishalinagar@gmail.com WebSite www.igcv.com

रजत जयन्ती वर्ष (2014-15)



क्र.749/स्था./2014

वैशालीनगर, दिनांक 25/12/14

प्रति,

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल,  
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय:- एम.एससी. पूर्व प्रथम सेमेस्टर रसायनशास्त्र में प्रायोगिक कार्य संबंधी ।  
संदर्भ:- विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 2132/अका./2014 रायपुर दिनांक 09.12.14 ।

— 0 —

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रानुसार विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति ने महाविद्यालय के एम.एससी. पूर्व प्रथम सेमेस्टर की प्रायोगिक कार्य हेतु प्रयोगशाला को अपर्याप्त माना है, जिसके तहत सत्र 2014-15 हेतु प्राचार्य, शास. वि.या.ता.स्व.स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग (अग्रणी महाविद्यालय) द्वारा प्रायोगिक कार्य सम्पन्न कराने वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अनुमति प्रदान की गई है ।

आगामी वर्ष हेतु प्रायोगिक कार्य हेतु आबंटन के रूप में 200000/- (दो लाख रुपये मात्र) प्रदान करने का कष्ट करें जिससे द्वितीय सेमेस्टर में एम.एससी. के छात्रों को प्रायोगिक की सुविधा उपलब्ध हो सके ।

(डॉ. महेशचन्द्र शर्मा)

प्राचार्य  
इन्दिरा गांधी शा. कला विज्ञान  
वाणिज्य महाविद्यालय  
वैशाली नगर, भिलाई (छ.ग.)

वैशालीनगर, दिनांक.....

पृ.क्र. /स्था./2014

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, शास.वि.या.ता.स्व.स्नातकोत्तर महावि. (अग्रणी महावि.) दुर्ग को सूचनार्थ ।

sd  
(डॉ. महेशचन्द्र शर्मा)

प्राचार्य  
इन्दिरा गांधी शा. कला विज्ञान  
वाणिज्य महाविद्यालय  
वैशाली नगर, भिलाई (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य, इं.गां.शासकीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय  
वैशालीनगर भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Phon.No.0788-2280806, Mob.No. 9425236497 Email.Id.-govt.collegevaishalinagar@gmail.com WebSite www.iggecv.com  
रजत जयन्ती वर्ष (2014-15)



क्र. 751 / स्था. / 2014

वैशालीनगर, दिनांक 10/12/14

प्रति,

कुलसचिव,  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- एम.एससी. पूर्व प्रथम सेमेस्टर रसायनशास्त्र में प्रायोगिक कार्य संबंधी ।  
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2132/अका./2014 रायपुर दिनांक 09.12.14 ।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रानुसार विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति ने महाविद्यालय के एम.एससी. पूर्व प्रथम सेमेस्टर की प्रायोगिक कार्य हेतु प्रयोगशाला को अपर्याप्त माना है, जिसके तहत प्राचार्य, शास. वि.या.ता.स्व.स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग (अग्रणी महाविद्यालय) द्वारा प्रायोगिक कार्य सम्पन्न कराने वैकल्पिक व्यवस्था हेतु चर्चा की गई है, जिसमें उन्होंने मौखिक रूप से अनुमति प्रदान की है ।

आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 749 दिनांक 09.12.19 द्वारा प्रायोगिक सामग्री आबंटन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है जिससे आगामी सेमेस्टर में छात्रों ने प्रायोगिक की सुविधा प्रदान की जा सकें ।

संलग्न आयुक्त के प्रेषित पत्र क्र. 749/9/12/14

(डॉ. महेशचन्द्र शर्मा)

प्राचार्य  
इन्दिरा गांधी शा. कला विज्ञान  
एवं वाणिज्य महाविद्यालय  
वैशाली नगर, भिलाई (छ.ग.)

पृ.क्र. / स्था. / 2014

प्रतिलिपि:-

वैशालीनगर, दिनांक.....

1. प्राचार्य, शास.वि.या.ता.स्व.स्नातकोत्तर महावि. (अग्रणी महावि.) दुर्ग को सूचनार्थ ।

(डॉ. महेशचन्द्र शर्मा)

प्राचार्य  
इन्दिरा गांधी शा. कला विज्ञान  
एवं वाणिज्य महाविद्यालय  
वैशाली नगर, भिलाई (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 9-16/2013/38-2

नया रायपुर, दिनांक 12/12/2014

प्रति,

कुल सचिव,  
प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,  
रायपुर (छ.ग.).


विषय :- डॉ. जे.एल. गंगवानी एवं डॉ. आर.के. अग्रवाल, सेवानिवृत्त प्राचार्य की संविदा सेवा अवधि में वृद्धि के संबंध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 2373/स्था./सा.प्रशा./2014 दिनांक 05.06.2014

-- 0 --

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा डॉ. जे.एल. गंगवानी एवं डॉ. आर.के. अग्रवाल, सेवानिवृत्त प्राचार्य की उप कुलसचिव पद पर संविदा सेवा अवधि में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

2/ आदेशानुसार सूचित है कि उक्त संविदा अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव विभाग द्वारा विचारोपरांत अमान्य किया जाता है।

  
(डॉ. ए.के. पाण्डेय)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग



# INDIAN COFFEE WORKERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD., JABALPUR

(Regd. No. 1485 - ESTD. 1958)

An ISO 9001 : 2008 Certified Co-operative Society

(Affiliated to A.I.C.W.C.S. Federation Ltd., Delhi)



Ref: ICWCS/ORG/PRSU-RAIPUR/2014-2015/NO.1/JBP.

DATE: 10.12.2014

To  
Shri. K.K. Chandrakar,  
Registrar,  
Pt. Ravishankar Shukla University,  
Raipur, Chhattisgarh.

Sub: - Opening of an Indian Coffee House/Canteen in the  
Campus of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur,  
Chhattisgarh by ICWCS Ltd., Jabalpur - Regarding.

Ref: - Your Letter No. 4463, dtd 06.09.2014 and discussion held  
with the Authorities of the PRS University & our  
Representatives on 03.12.2014

Dear Sir,

With reference to your above cited letter and the discussion held with the Authorities of the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur and our Representatives on 03.12.2014, on the above subject matter, it is hereby inform you that, we are willing to start the Indian Coffee House/Canteen in the proposed Space at the PRS University Campus. as desired by you. For which, the University has to make some alterations/modifications in the proposed space of the Building for the Indian Coffee House. In this regard we shall be submitting a Plan for making Kitchen, Stair case, Office Room & Store etc. Immediately.

However, we shall reach there, and discuss the terms & conditions, in connection with taking over this Indian Coffee House/Canteen, in a suitable date will be decided by you.

This is for your information and necessary action please.

Thanking you,

Yours faithfully,

(O.K. RAJAGOPALAN)

**Sr. General Manager**

INDIAN COFFEE WORKERS CO-OPERATIVE  
SOCIETY LTD., H.O., JABALPUR (M.P.)

kvj/